[2018] 9 एस. सी. आर 106

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS।

(2015 की सिविल अपील संख्या 14697)

12 अप्रैल, 2018

[जे. चेलामेश्वर और संजय किशन कौल, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम 2003: एसएस। 84 और 86-की नियुक्ति

केंद्रीय और राज्य नियामक आयोगों के अध्यक्ष क्या इनकी अध्यक्षता करने के लिए न्यायिक दिमाग होना अनिवार्य है

न्यायाधीश के रूप में आयोग-आयोजितः धारा 84 (2) केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है।

राज्य आयोग के अध्यक्ष-राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है-हालाँकि, यह अनिवार्य है कि कानून का कोई व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि ऐसा सदस्य एक व्यक्ति होना चाहिए। आयोग के सदस्य

न्यायिक पद धारण करने वाला या कानून के अभ्यास में पर्याप्त अनुभव के साथ पेशेवर योग्यता रखने वाला व्यक्ति है, जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं-ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य आयोग का न्यायिक कार्य होता है और इसमें निहितियां होती हैं।

तथ्यों पर, तमिलनाडु राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को चुनौती देने के साथ-साथ आयोग द्वारा की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही को भी खारिज कर दिया जाता है।

एसएस। 84 और 86-अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ

और राज्य आयोग के सदस्य-राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति का गठन-समझाया गया।

क़ानूनों की व्याख्याः वैधानिक निर्माण-स्वर्ण

नियम और शाब्दिक नियम-आयोजितः सुनहरा नियम और वैधानिक निर्माण का शाब्दिक नियम दोनों अच्छी तरह से स्थापित हैं कि एक क़ानून

इसे पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि यह विधायिका द्वारा तैयार किया गया है-यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह क़ानून में कुछ ऐसा प्रतिस्थापित या पढ़ा जाए जो प्रदान नहीं किया गया है-अदालतें कानून के वास्तविक इरादे का पता लगा सकती हैं।

कानून के पूरे दायरे को ध्यान से ध्यान में रखते हुए विधायिका।

106 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 84 (2) केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है। उक्त अधिनियम के राज्य आयोग के अध्यक्ष और यह नहीं है

राज्य आयोग को उल्लिखित शर्तों के अनुसार एक विधि सदस्य द्वारा भरा जाएगा। [पैरा 114] [162-डी-एच; 163-ए] 2.1 धारा 84 (1) के एक सादे पाठ पर, यह अनिवार्य है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों

" योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान है और जिन्होंने उनसे निपटने की क्षमता दिखाई है। इस खंड के एक सादे व्याकरणिक अध्ययन से पता चलता है कि अध्यक्ष और सदस्य की योग्यताओं में कोई अंतर नहीं किया गया है। केवल उप-धारा में निहित आदेशों की आवश्यकता है, जो "होगा" शब्द से शुरू होते हैं। इस प्रकार, उसमें उल्लिखित क्षेत्रों में से कोई भी व्यक्ति, जिसके पास

क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा को सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। [पैरा 73] [147-जी-एच; 148-ए-बी] 2.2 अधिनियम की धारा 85 में राज्य के सदस्यों का चयन करने के लिए एक चयन समिति के गठन का प्रावधान है।

आयोग, जिसमें बदले में निर्धारित व्यक्तियों को शामिल करना होता है

इसमें अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति होना चाहिए, जो चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यह प्रावधान [2018] 9 एस. सी. आर. की नियुक्ति को संदर्भित करता है।

' उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 43 को ध्यान में रखते हुए राज्य आयोग के सदस्यों में राज्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस प्रकार, धारा 85 के साथ पठित धारा 84 की उप-धारा (1) को पढ़ने से उन क्षेत्रों के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा जिनमें से राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का चयन किया जा सकता है। हालाँकि, विवाद उप-धारा के समावेश से उत्पन्न हुआ है।

(2) धारा 84। यह इस प्रकार है, क्योंकि उप-धारा (2) एक "बावजूद" खंड के साथ शुरू होती है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार "किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है।

व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। यह है। इस परंतुक के साथ पढ़ा जाए कि ऐसी नियुक्ति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी चाहिए। परंतुक केवल इस स्वीकृत स्थिति का सम्मान करता है और बनाए रखता है कि ऐसे वरिष्ठ न्यायिक पद पर आसीन व्यक्तियों की नियुक्ति में, मुख्य न्यायाधीश होने के नाते न्यायिक प्रमुख के साथ परामर्श अनिवार्य होना चाहिए। दोनों सुनहरे नियम

और वैधानिक निर्माण का शाब्दिक नियम अच्छी तरह से स्थापित है।

कि किसी कानून को विधायिका द्वारा बनाए जाने के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह ऐसी किसी चीज़ को प्रतिस्थापित करे या क़ानून में पढ़े जो प्रदान नहीं की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ प्रावधानों में "हो सकता है" और "होगा" अभिव्यक्ति की विनिमेयता के बारे में न्यायिक विचार नहीं लिए गए हैं। इस प्रकार, "होगा" शब्द का उपयोग इस धारणा को जन्म देता है कि एक विशेष प्रावधान अनिवार्य है। हालाँकि, इसे कुछ मामलों में केवल निर्देशिका के रूप में माना गया है यदि संदर्भ या इरादा विधायिका अन्यथा माँग करती है। न्यायालय कानून के पूरे दायरे में सावधानीपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकते हैं। [पैरा 74-76] [148-B-C, E-H; 149-A-C]

सैनिक मोटर्स बनाम। राजस्थान राज्य [1962] 1 एस. सी. आर. 517; अध्यक्ष केनरा बैंक, बैंगलोर बनाम। एम. एस. जसरा एयर 1992 एस. सी. 1100: [1992] 2 एस. सी. आर. 68- संदर्भित।

2.3 यह निर्धारित करने के लिए एक सामान्य नियम निर्धारित करना लगभग असंभव है कि कोई प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका। में।

धारा 84, "होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग उप-धारा (1) में क्षमता, सत्यनिष्ठा और स्थिति की आवश्यकता के संदर्भ में और इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में पर्याप्त ज्ञान और क्षमता के संदर्भ में भी किया जाता है।

दूसरी ओर, गुजरात और ओआरएस राज्य में। वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS।

वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह से एक अध्यक्ष, प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मई" है जो इसे एक विवेकाधीन शक्ति होने का संकेत देती है। इस प्रकार, यह तर्क कि धारा का सादा अध्ययन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि विधायिका ने केवल उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह से अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना की परिकल्पना की है, इस मामले में नियुक्ति की विधि यू/एस की परिकल्पना के अनुसार अलग होगी। 85 स्वीकार किया जाता है। [पारस 78-80] [149-H; 150-C-F]

मैक्सवेल द्वारा कानूनों की व्याख्या, 12 वीं संस्करण -

संदर्भित किया गया।

2.4 राज्य आयोग के कार्य निर्धारित किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 86 के तहत। गणना किए गए कार्यों में शुल्क का निर्धारण, बिजली खरीद का विनियमन और वितरण लाइसेंसधारियों की खरीद प्रक्रिया, राज्य के भीतर पारेषण की सुविधा, व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना, सह-उत्पादन को बढ़ावा देना और अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन शामिल हैं।

स्रोत, शुल्क लगाना, मानकों को निर्दिष्ट करना या लागू करना, व्यापार मार्जिन तय करना। इन सभी कार्यों के बजाय चरित्र में नियामक हैं न्यायनिर्णायक। वास्तविक न्यायनिर्णायक कार्य केवल उपखंड (च) में प्रदान किया गया है, जिसके बाद आयोग के पास लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने या ऐसे विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने का विकल्प होता है। राज्य आयोग द्वारा उप-धारा (2) में निर्दिष्ट एक सलाहकार भूमिका भी निभाई जानी है। इस प्रकार के कार्य आवश्यक रूप से एक न्यायाधीश को अध्यक्ष होने के लिए अनिवार्य नहीं करते हैं। [पैरा 81] [150 जी-एच; 151-ए-बी]

तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड बनाम। पी. पी. एन. बिजली उत्पादन कंपनी निजी

सीमित [2014] 4 एससीआर 667: 2014 (11) एससीसी 53-संदर्भित

को।

2.5 धारा 112 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना अनिवार्य करती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक पीठ होनी चाहिए जिसमें से कम से कम एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए। धारा 113 के अनुसार, अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इस प्रकार, अपीलीय स्तर पर आवश्यक न्यायिक जांच होती है, जो होती है। स्थिति [2018] 9 एस. सी. आर. के दृष्टिकोण से देखा गया।

उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले प्रचलित, राज्य आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति, इस तरह से उस व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी थी, जो अनिवार्य रूप से न्यायिक पद धारण करता था। न्यायिक प्रक्रिया के "न्यायाधिकरण" के संदर्भ में टिप्पणियों और एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसकी आवश्यकता को न्यायालयों से न्यायाधिकरणों में न्यायिक भूमिका के स्थानांतरण के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 83] [151-ई-जी]

2.6 तथ्य यह है कि अध्यक्ष को सदस्य को नामित करने का अधिकार है, जो उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

धारा 92 की उप-धारा (2), या कि कानून के किसी व्यक्ति की उपस्थिति किसी ऐसे न्यायाधीश की आवश्यकता का विकल्प नहीं होगी जो

निर्णय लेने के लिए एक न्यायिक विचार प्रक्रिया लाएं

अध्यक्ष, या कि नियामक निकाय अनियमित नहीं होना चाहिए, सामान्यीकृत याचिकाएं हैं, जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, जिसमें कानून के निर्णय या व्याख्या से उत्पन्न कानून के सिद्धांत भी शामिल होंगे, लेकिन फिर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुपात निर्णय, न्यायाधीश की अनिवार्य आवश्यकता के सिद्धांत को केवल उन मामलों में लागू करता है जहां न्यायिक कार्य को 'न्यायाधिकरण' की प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित करने की मांग की जाती है। [पैरा 86] [152-डी-एफ]

2.7 उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) एक गैर-अवरोधक खंड से शुरू होती है, अर्थात, उप-धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद। (1) , यह उप-धारा (1) में बताई गई बातों को दूर नहीं करता है, जो नियुक्ति में आवश्यक आवश्यकताओं से संबंधित है।

किसी सदस्य या अध्यक्ष का। यह अधिनियम के उप-धारा (1) होने की स्पष्ट शर्तों में कटौती नहीं करेगा। इस तरह के गैर-अड़ंगा खंड का उपयोग करने का अवसर वास्तव में इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि एक अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जो न्यायाधीश है या रही है, अलग होनी चाहिए, और इस प्रकार, मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य परामर्श। यह कुछ भी कम या ज्यादा नहीं है। इसके अलावा धारा 85 की उप धारा (1) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक चयन समिति का प्रावधान है, लेकिन इस परंतुक के साथ कि उक्त प्रावधान किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए लागू नहीं होगा।

अध्यक्ष के रूप में जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। वास्तव में, यह दर्शाता है कि एक गैर-न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित के तहत गठित चयन समिति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 85, जिसकी अध्यक्षता गुजरात राज्य और ओआरएस के न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS।

उच्च न्यायालय। इस प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) केवल राज्य सरकार को राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक न्यायाधीश नियुक्त करने का विवेकाधीन विकल्प देती है। ने कहा कि

अतः प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। [पैरा 87] [152-एफ एच; 153-ए-बी]

3.1 उक्त अधिनियम की धारा 82 (4) के अनुसार, राज्य आयोग में तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष सहित। दूसरे शब्दों में, अध्यक्ष के अलावा दो अन्य सदस्य होने चाहिए। अब अगर

अध्यक्ष न्यायाधीश नहीं है, सवाल यह उठता है कि क्या अन्य दो सदस्यों में से कोई भी राज्य आयोग द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति को देखते हुए कानूनी क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 84 (1) छह अलग-अलग क्षेत्रों, यानी इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में ज्ञान और प्रदर्शित क्षमता की आवश्यकता निर्धारित करती है। यदि अध्यक्ष गैर-कानूनी क्षेत्र से है, इसका मतलब यह होगा कि वह अन्य पांच क्षेत्रों में से किसी एक का व्यक्ति होगा। यह अभी भी कानून सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से दो सदस्यों की नियुक्ति को छोड़ देगा। इस प्रकार, एक संभावना हो सकती है और ऐसा ही है, जहां राज्य आयोगों में कानूनी क्षेत्र से कोई सदस्य नहीं है। विवादास्पद मुद्दा यह उठता है कि क्या अधिनियम की धारा 84 (1) में पढ़ने के लिए एक अनिवार्य प्रावधान हो सकता है, कि कानूनी क्षेत्र से कम से कम एक व्यक्ति सदस्य के रूप में आवश्यक है, हालांकि धारा के सादे पढ़ने पर ऐसा नहीं है। [पैरा 88] [153-सी-जी]

3.2 नियुक्ति के बीच अंतर करने वाली विशेषता

केंद्रीय आयोग और राज्य आयोग के सदस्यों का कहना है कि केंद्रीय आयोग के संबंध में, यह धारा 77 में विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि किस क्षेत्र से कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी है। धारा 77 की उप-धारा (1) के उप-खंड (सी) में एक और प्रावधान है जो इसे एक से अधिक तक सीमित नहीं करता है।

उक्त खंड में निर्दिष्ट क्षेत्रों से सदस्य, अर्थात। अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानून या प्रबंधन। राज्य आयोग के लिए यह स्थिति नहीं है। [पैरा 89] [153-जी-एच; 154-ए]

3.3 इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एस का उपखंड (एफ)। 86 यह स्पष्ट रूप से एक निर्णयात्मक कार्य है। यह विवादों के निर्णय का प्रावधान करता है।

लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच। विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की भी शक्ति है। [पैरा 91] [154-सी-डी] [2018] 9 एस. सी. आर.

3.4 एसएस का एक अवलोकन। 94 धारा 96 से पता चलेगा कि उनकी परिभाषा के अलावा, अन्यथा भी, ये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। ऐसी शक्तियाँ जैसे

समन भेजना, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर जांच, दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करना, साक्ष्य का शपथ पत्र प्राप्त करना, सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना आदि सभी धारा 94 का हिस्सा हैं। धारा 95 के संदर्भ में, राज्य आयोग के समक्ष ऐसी सभी कार्यवाहियों को आई. पी. सी. की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाहियां माना जाएगा और आयोग उद्देश्यों के लिए एक दीवानी अदालत होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346। इतना ही नहीं, धारा 96 किसी भी भवन और स्थान के संबंध में प्रवेश और जब्ती की चरम शक्ति प्रदान करती है जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच के विषय से संबंधित कोई भी दस्तावेज पाया जा सकता है और उसे जब्त किया जा सकता है। आयोग को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 129 के तहत और आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड के लिए धारा 142 और 146 के तहत शक्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य आयोग, हालांकि एक 'आयोग' के रूप में परिभाषित है, के पास सभी 'न्यायालय के गुण' हैं। [पैरा 93] [154-एच; 155-ए-डी]

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर लिमिटेड

(जीजे-I) [2008] 4 एस. सी. आर. 822 2008 (4) एस. सी. सी. 755; ए. पी.

शक्ति समन्वय समिति और अन्य। वी. लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड और अन्य। [2015] 12 एससीआर 447: 2016 (3) एस. सी. सी. 468; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर लिमिटेड (जीजे-आई) [2008] 4 एससीआर 822 2008 (4) एससीसी 755; तमिलनाडु उत्पादन और वितरण

निगम लिमिटेड बनाम। पी. पी. एन. बिजली उत्पादन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड [2014] 4 एससीआर 667: 2014 (11) एस. सी. सी. 53; भारत बैंक लिमिटेड बनाम। भारत के कर्मचारी

बैंक लिमिटेड 1950 ए. आई. आर 188: [1950] एस. सी. आर. 45; जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मी चंद [1963] पूरक। 1 एस. सी. आर. 242; इंजीनियरिंग मजदूर सभा बनाम। हिंद साइकिल लिमिटेड 1963 ए. आई. आर. 874: [1963] पूरक। एस. सी. आर. 625; भारत-चीन स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम। जसजीत सिंह [1964] 6 एससीआर 594; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम। पी. एन. शर्मा [1965] 2 एससीआर 366; सरोजिनी रामास्वामी बनाम। भारत संघ [1992] 1 पूरक। एससीआर 108:

1992 (4) एस. सी. सी. 506; गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS।

गुजरात राज्य बनाम। गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण बार

एसोसिएशन [2012] 10 एससीआर 816: 2012 (10) एस. सी. सी. 353-संदर्भित।

ऑस्ट्रेलिया की शेल कंपनी, लिमिटेड बनाम। संघीय

कराधान आयुक्त (1931) अधिनियम 275; आर. वी. लंदन काउंटी काउंसिल (1931) 2 KB 215; हडर्ट, पार्कर एंड कंपनी v. मूरहेड 8 सी. एल. आर. 330,357; कूपर बनाम। विल्सन

(1937) 2 के. बी. 309-संदर्भित।

3.5 'वैम्बॉग टेस्ट' या 'द इनवर्जन टेस्ट' को न्यायिक व्याख्या के साधन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। व्युत्क्रम परीक्षण 'का उपयोग किसी भी निर्णय में अनुपात निर्धारण की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह जाँचने के लिए कि क्या कानून के किसी विशेष प्रस्ताव को मामले के अनुपात निर्णय के रूप में माना जाना है, प्रस्ताव को उल्टा किया जाना है, अर्थात, निर्णय के पाठ से हटाने के लिए जैसे कि यह मौजूद नहीं था। यदि प्रस्ताव की जांच किए बिना भी मामले का निष्कर्ष वही रहा होगा, तो इसे मामले का अनुपात निर्णय नहीं माना जा सकता है। इस परीक्षण का पालन यह इंगित करने के लिए किया गया है कि अनुपात निर्णय वही है जो मामले के निर्णय के लिए बिल्कुल आवश्यक है। ताकि एक राय में एक पूर्ववर्ती का वजन हो ", यह एक राय होनी चाहिए, जिसका गठन किसी विशेष मामले के निर्णय के लिए आवश्यक है। उक्त निर्णय पर परीक्षण को लागू करते हुए, प्रस्ताव को उलट दिया जाता है, अर्थात, "अध्यक्ष को न्यायिक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है", तथ्य यह है कि इसका उस मामले में निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अन्य बातों के साथ धारा 86 की व्याख्या से संबंधित था।

अधिनियम ने कहा। वास्तव में, यह न्यायाधीशों के समूह से अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उपरोक्त निर्णय को उचित ठहराता है। [पैरा 102-104] [159-A-F] 3.7 यदि इस न्यायालय को इस प्रस्ताव को "कानून का ज्ञान रखने वाले किसी भी सदस्य के सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है" के रूप में लेना था

कमीशन "तब हाथ में एक समस्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 86 की व्याख्या करते समय, यह व्यक्त किया गया है कि आयोग के पास 'न्यायालय का जाल' है, जो एक पहलू है

जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बार जब इसके पास 'न्यायालय के अधिकार' होते हैं और आयोग के समग्र कामकाज के संदर्भ में सीमित कार्य होते हुए भी न्यायिक कार्य करता है, तब भी ऐसे न्यायिक कार्य करते हुए जो दूरगामी प्रभाव के हो सकते हैं, एस. सी. आर.

कानून का ज्ञान रखने वाले सदस्य की उपस्थिति होगी

आवश्यक है। कानून का ज्ञान रखने वाले सदस्य की अनुपस्थिति राज्य आयोग की संरचना को इस तरह बना देगी जैसे - यह उक्त अधिनियम की धारा 86 (1) (च) के तहत कार्यों को करने में असमर्थ बना देगा। [पैरा 105] [159-जी; 160-ए-सी]

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर.

(एमजे-II) [2014] 10 एससीआर 1: 2014 (10) एससीसी 1-संदर्भित

को।

3.8 राज्य आयोग के सदस्य के रूप में कानून के व्यक्ति का होना अनिवार्य है। जब यह कहा जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कानून के क्षेत्र से किसी व्यक्ति को उठाया जा सकता है। यह एक व्यक्ति होना चाहिए, जो न्यायिक पद पर है या रह रहा है या एक व्यक्ति है।

पर्याप्त अनुभव के साथ पेशेवर योग्यता रखने वाले विधि के व्यवहार में, जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्यताएँ हों। [पैरा 107] [160-जी-एच]

ब्रह्म दत्त बनाम। भारत संघ 2005 (2) एस. सी. सी. 431-निर्दिष्ट।

3.9 यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि अपीलीय न्यायाधिकरण में एक न्यायाधीश की उपस्थिति है जो राज्य आयोग के सदस्य के रूप में कानून के एक व्यक्ति की आवश्यकता को दूर करेगी। मूल कार्यवाही को केवल अपील का अधिकार प्रदान करके इसके दोष से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, सभी न्यायिक कार्यों के लिए, पीठ में कम से कम एक सदस्य होना आवश्यक है, जो न्यायिक पद पर है या रह रहा है या कानून के अभ्यास में पर्याप्त अनुभव के साथ पेशेवर योग्यता रखने वाला व्यक्ति है और जिसके पास नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में। [पारस 109-110] [161-D-E]

3.10 हस्तांतरण मामलों में रखी गई चुनौती

तमिलनाडु राज्य आयोग में की गई नियुक्तियाँ और

आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए शक्तियों का प्रयोग। मौलिक याचिका दोनों सदस्यों के वित्तीय पूर्वाग्रह की है क्योंकि वे अपने पूर्व अवतारों में काम कर रहे थे। 'जीआर' के नाम की सिफारिश तब की गई थी जब वह अभी भी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे।

टैंगेडको और उन्होंने अपने नाम स्टेट ऑफ गुजरात एंड ऑर्स के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना।

वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS।

सिफारिश की गई थी। ' एके '31.5.14 पर टैंट्रांस्को के प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें इस रूप में नियुक्त किया गया 6.6.14 पर आयोग के अध्यक्ष। शुल्क वृद्धि को 2 के बहुमत से मंजूरी दी गई थीः 1 इन दोनों सदस्यों के बहुमत के दृष्टिकोण का हिस्सा होने के साथ। [पैरा 111] [161-ई-जी]

3.11 वित्तीय हित की प्रकृति की जांच संकीर्ण अर्थों के साथ-साथ व्यापक अर्थों में की गई थी और व्यापक अर्थों में, इसे किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित को शामिल करने के लिए माना गया था। किसी वित्तीय उपक्रम से संबंध। स्थिति तब उत्पन्न हुई जब संबंधित व्यक्ति एक साथ दोनों पदों पर था, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। तमिलनाडु राज्य के वकील ने यह भी बताया कि नियुक्ति के आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय तक विशेष रूप से हमला किया गया है।

चयन समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने की थी। इस प्रकार, नियुक्ति या स्वतः संज्ञान शुल्क संशोधन पर आरोप लगाते हुए अग्रिम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई गई है। [पैरा 112-113] [162-A-C]

राजेश अवस्थी बनाम। नंद लाल जयसवाल [2012] 10 एससीआर 883

2013 (1) एस. सी. सी. 501; मोर आधुनिक सहकारी

ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड बनाम वित्तीय आयुक्त और

सरकार के सचिव। हरियाणा और अन्र. [2002] 1 पूरक।

एससीआर 87: 2002 (6) एस. सी. सी. 269; किहोतो होलोहन बनाम।

ज़चिल्लू [1992] 1 एससीआर 686: 1992 (2) पूरक। एस. सी. सी. 651; परीना स्वरूप बनाम। भारत संघ [2008] 13

एस. सी. आर. 1217 2008 (14) एस. सी. सी. 107; भारत संघ बनाम।

मद्रास बार एसोसिएशन (एमजे-आई) [2010] 6 एससीआर 857: 2010 (11) एस. सी. सी. 1; उत्तर प्रदेश विद्युत निगम

सीमित वी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

& ओआरएस। (2011) 12 एससीसी 400; प्राकृतिक संसाधन

2012 [2012] 9 एस. सी. आर. 311 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में आवंटनः 2012 (10) एस. सी. सी. 1; बच्चन देवी और अन्र। वी. नगर निगम, गोरखपुर और अन्र। [2008] 2 एससीआर 424:

2008 (12) एस. सी. सी. 372; द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. वी. श्राइनबाई ए ईरानी और अन्र। [1955] 1 एस. सी. आर. 206; अध्यक्ष

केनरा बैंक, बैंगलोर बनाम एम. एस. जसरा 1992 आकाशवाणी

1100 : [1992] 2 एस. सी. आर. 68; अजीत सिंह (द्वितीय) बनाम। पंजाब राज्य (1999) 7 एससीसी 209; यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम (1961) 2

एस. सी. आर. 679 संदर्भित है।

[20

18] 9 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यूजीन वामबाग बोस्टन द्वारा मामलों का अध्ययनः

लिटिल, ब्राउन एंड कंपनी, 1892 पृष्ठ 17.

मामला कानून संदर्भ

[2014] 4 एससीआर 667

पै

रा 17,

संदर्भित किया गया है

2

9 , 34 , 39

[1992] 1 एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2008] 13 एससीआर 1217

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2014] 10 एससीआर 1

पै

रास 26.

संदर्भित किया गया है

पा

रस 26,

[2010] 6 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

3

2 , 38

[2008] 4 एससीआर 822

पै

रा 30,

संदर्भित किया गया है

4

4

[2016] 5 एससीआर 101

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

(2011) 12 एससीसी 400

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[2012] 9 एससीआर 311

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

2005 (2) एस. सी. सी. 431

पै

रा 43

[2012] 10 एससीआर 883

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

[2002] 1 पूरक। एससीआर 87

पै

रा 52,

संदर्भित किया गया है

[2008] 2 एससीआर 424

संदर्भित किया गया है

पै

रा 56

[2015] 12 एससीआर 447

संदर्भित किया गया है

पै

रा 57

[2013] 13 एससीआर 96

पै

रा 57,

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 206

पै

रा 66

संदर्भित किया गया है

(1999) 7 एससीसी 209

संदर्भित किया गया है

पै

रा 67

[1962] 1 एससीआर 517

संदर्भित किया गया है

पै

रा 76

[1961] 2 एससीआर 679

संदर्भित किया गया है

पै

रा 76

[1992] 2 एससीआर 68

संदर्भित किया गया है

पैरा 76 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS।

[1950] एससीआर 45

संदर्भित किया गया है

पै

रा 95

[1963] सप. 1 एससीआर 242

संदर्भित किया गया है

पै

रा 98

[1963] पूरक। एससीआर 625

संदर्भित किया गया है

पै

रा 98

[1964] 6 एससीआर 594

पै

रा 98

संदर्भित किया गया है

[1965] 2 एससीआर 366

संदर्भित किया गया है

पै

रा 98

[1992] 1 पूरक। एससीआर 108

संदर्भित किया गया है

पै

रा 98

[2012] 10 एससीआर 816

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 14697

2015 से।

उच्च न्यायालय के 08.10.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की लिखित याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 172 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार

के साथ

2015 का सी. ए. सं. 13451

टी. सी. (ग) संख्या। 139 , 138 , 137 , 140 2015 का

टी. पी (ग) 2016 की सं. 974।

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., श्री

सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। एएजी, अरविंद पी. दत्तार, शेखर नाफडे, जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. जी. रामचंद्रन, आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री आरती शर्मा, सुश्री लिज़ मैथ्यू, पी. के. मलिक, सुश्री हेमंतिका वाही, शुभम आर्य, गुरमीत सिंह मक्कर, गौतम नारायण, आर. ए. अय्यर, सुश्री महामाया चटर्जी, अनिल कौशिक, अभिषेक मिश्रा, विष्णु शर्मा, मेहूल एम. गुप्ता, राजिंदर सिंह, विष्णु शर्मा, अब्दुल सलीम, विनोद कन्ना बी., ए. श्रीराम, बडी रंगनाथन, अरिजीत मोइत्रा, सौमिक घोषाल, निखिल नय्यर, एन. साई विनोद, धनंजय बैजल, सुश्री स्मृति शाह, दिव्यांशु राय, सुश्री सुजाता बालाचंदर, रवजी। उपस्थित दलों के लिए।

18] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे. 1. विद्युत अधिनियम, 2003

(इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) केंद्रीय और राज्य नियामक आयोगों के लिए प्रावधान करता है। जहां तक इन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति का संबंध है, प्रासंगिक प्रावधानों में कहा गया है कि

अध्यक्ष राज्य आयोग के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या केंद्रीय आयोग के लिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। इन अपीलों में विचार के लिए जो आम सवाल उठता है, वह यह है कि क्या "हो सकता है" अभिव्यक्ति को "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यानी क्या न्यायाधीश के रूप में इन आयोगों की अध्यक्षता करने वाला न्यायिक दिमाग होना अनिवार्य है।

2. मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने फैसले के माध्यम से

दिनांक 1 ने तमिलनाडु राज्य विद्युत आयोग के अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया को दी गई चुनौती के संबंध में विचार लिया कि ऐसी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी, हालांकि एक न्यायाधीश नियुक्त करने का विकल्प था।

3. गुजरात राज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में इसी तरह के एक मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ

विनियामक आयोग ने दिनांक 8.10.2015 के विवादित आदेश के माध्यम से राय दी कि यह इतना अनिवार्य था। 4. उपरोक्त न्यायिक संघर्ष इस न्यायालय के समक्ष होने के कारण, विभिन्न राज्यों में रखी गई चुनौतियों को दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से स्थानांतरण याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

5. भारत संघ के साथ-साथ कुछ राज्य आयोगों को भी प्रावधान की व्याख्या के लिए एक तरफ तैयार किया गया है।

जैसा कि इसमें कहा गया है, जबकि दूसरी ओर उपभोक्ता, कार्यकर्ता और कुछ प्रभावित पक्ष हैं, जिन्होंने राज्य नियामक आयोगों के महत्व और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति का प्रचार किया, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि केवल एक न्यायाधीश को इन आयोगों की अध्यक्षता करनी चाहिए।

6. हम व्यक्तिगत तथ्यों में जाने की आवश्यकता नहीं देखते हैं और न ही हमारे सामने उस आधार पर याचिकाएं दायर की गई थीं। प्रस्तुतियाँ उक्त अधिनियम के प्रावधानों और कुछ की अनिवार्य आवश्यकता के मुद्दे से निपटने वाली कानूनी घोषणाओं पर आधारित हैं। आयोगों की अध्यक्षता न्यायिक दिमाग द्वारा की जाएगी।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

अधिनियमः

7. उक्त अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित होने पर 10.6.2003 पर लागू हुआ। अधिनियम पीढ़ी से संबंधित कानूनों को समेकित करने का प्रयास करता है,

पारेषण, वितरण, व्यापार और बिजली का उपयोग। उक्त अधिनियम की प्रस्तावना में निम्नानुसार कहा गया हैः

" बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने के लिए एक अधिनियम, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, बिजली दरों को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना,

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए।

8. वस्तुओं और कारणों के विस्तृत विवरण में उल्लेख किया गया है कि भारत में बिजली आपूर्ति उद्योग भारत सरकार द्वारा शासित था।

विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998। राज्य विद्युत बोर्ड

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित विभिन्न कारकों के कारण उचित शुल्क का निर्धारण करने में विफल रहा और क्रॉस-सब्सिडी अस्थिर स्तर तक पहुंच गई। 1998 का विद्युत नियामक आयोग अधिनियम सरकार को शुल्क निर्धारण से दूर रखने का एक प्रयास था। नियामक आयोग।

9. उक्त अधिनियम का भाग X विनियामक से संबंधित मामलों से संबंधित है।

आयोग-उनका संविधान, शक्तियाँ और कार्य, आदि। उक्त अधिनियम की धारा 76 और 77 केंद्रीय आयोग के गठन और केंद्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित हैं। प्रावधान राज्य आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति के समान हैं, सिवाय इसके कि संबंधित उप-धारा में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार उन व्यक्तियों में से अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है जो राज्य आयोगों के मामले में केंद्रीय आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या रहे हैं, प्रावधान में कहा गया है कि राज्य सरकार एस. सी. आर.

ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करें जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 78 से संबंधित है -

सदस्यों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति का गठन, जबकि केंद्रीय आयोग के कार्य धारा में निर्दिष्ट हैं।

79 उक्त अधिनियम का। उक्त अधिनियम की धारा 80 एक केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना का प्रावधान करती है जिसमें केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष केंद्रीय सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह समिति केंद्रीय आयोग को सलाह देगी कि

नीति के प्रमुख प्रश्न; लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विस्तार; शर्तों के साथ लाइसेंसधारियों द्वारा अनुपालन और उनके लाइसेंस की आवश्यकताएँ; उपभोक्ता हित की सुरक्षा; बिजली की आपूर्ति और उपयोगिताओं द्वारा प्रदर्शन के समग्र मानक (उक्त अधिनियम की धारा 81)।

10. उक्त अधिनियम की धारा 82 राज्य आयोग के गठन के संबंध में है जबकि धारा 84 नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करती है।

राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य। उक्त अधिनियम की धारा 85 राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति के गठन का प्रावधान करती है और धारा 86 राज्य आयोग के कार्यों को निर्धारित करती है। केंद्रीय सलाहकार समिति के समान, राज्य सलाहकार समिति का गठन उक्त अधिनियम की धारा 87 के तहत किया जा सकता है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 88 के तहत कार्यों की समानता हो। जिन प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना है, उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

" धारा 84। अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ

(3) अध्यक्ष या राज्य का कोई अन्य सदस्य आयोग का कोई अन्य पद नहीं होगा।

गुजरात और ओ. आर. एस. का सेवन। वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

(4) अध्यक्ष राज्य आयोग का मुख्य कार्यकारी होगा। धारा 85। राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति का गठन। - (1) राज्य सरकार, राज्य के सदस्यों के चयन के उद्देश्यों के लिए

आयोग, एक चयन समिति का गठन करता है जिसमें

(क) एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।

अध्यक्ष;

(ख) संबंधित राज्य का मुख्य सचिव। सदस्य; ((ग) प्राधिकरण का अध्यक्ष या

केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष। सदस्यः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

अध्यक्ष या सदस्य की सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति, चयन समिति को भरने के लिए एक संदर्भ दें रिक्त स्थान।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी। (5) राज्य आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले,

चयन समिति स्वयं को संतुष्ट करेगी कि ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं करता है।

कोई वित्तीय या अन्य हित है जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है, जैसा भी मामला हो।

(6) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

केवल चयन समिति [2018] 9 एस. सी. आर. में किसी भी रिक्ति के कारण अमान्य है।

86. राज्य आयोग के कार्य। - (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

(क) राज्य के भीतर, जैसा भी मामला हो, थोक, थोक या खुदरा बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और पहियों के लिए शुल्क निर्धारित करना:

बशर्ते कि जहां धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की एक श्रेणी को खुली पहुंच की अनुमति दी गई है, राज्य आयोग

उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए केवल व्हीलिंग शुल्क और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, निर्धारित करें;

(ख) राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद के लिए समझौतों के माध्यम से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों या लाइसेंसधारियों या अन्य स्रोतों से बिजली की खरीद की जाने वाली कीमत सहित वितरण लाइसेंसधारियों की बिजली खरीद और खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना;

(ग) राज्य के भीतर बिजली के पारेषण और पहियों की सुविधा प्रदान करना; (घ) राज्य के भीतर अपने संचालन के संबंध में पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और बिजली व्यापारियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना;

(ई) ग्रिड के साथ संपर्क और किसी भी व्यक्ति को बिजली की बिक्री के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करके अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना, और ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए, वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत भी निर्दिष्ट करना।

(ज) धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के तहत निर्दिष्ट ग्रिड संहिता के अनुरूप राज्य ग्रिड संहिता निर्दिष्ट करें; (i) लाइसेंसधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करना;

(जे) यदि आवश्यक समझा जाए तो बिजली के अंतर-राज्य व्यापार में व्यापार मार्जिन तय करें; गुजरात और ओआरएस का ए. टी. ई.

वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

(के) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो इसके तहत सौंपा जा सकता है

यह अधिनियम। (2) राज्य आयोग राज्य सरकार को सलाह देगा कि

निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले, अर्थात्: —

(i) गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

((ख) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना। ((ग) राज्य में बिजली उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्गठन।

((iv) बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या राज्य को निर्दिष्ट कोई अन्य मामला।

उस सरकार द्वारा आयोगः

(3) राज्य आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। (4) अपने कार्यों के निर्वहन में, राज्य आयोग राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना द्वारा निर्देशित होगा।

और धारा 3 के तहत प्रकाशित शुल्क नीति।

केन्द्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -:

" 77. केंद्रीय सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ

आयोग। - (1) केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होंगे।

(ख) के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति

(ग) क्षेत्र में योग्यता और अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति।

अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानून या प्रबंधनः

बशर्ते कि खंड (ग) के तहत एक ही श्रेणी के तहत एक से अधिक सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
"

12. तथापि, राज्य आयोग के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति के लिए किसी विशेष आयोग के सदस्यों की संख्या पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। हालांकि इसमें कहा गया है कि ऐसे सदस्यों को संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त ज्ञान और क्षमता होनी चाहिए

उन लोगों में से अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं या हैं। उप-धारा (2) के परंतुक में कहा गया है कि उप-धारा (2) के तहत नियुक्ति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अलावा की जाएगी। वास्तव में, यह मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की प्रमुखता और आवश्यकता को मान्यता देता है।

राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय। केंद्रीय आयोग के लिए, परामर्श भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ है, क्योंकि नियोजित नियुक्ति की परिकल्पना की गई है

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।

13. राज्य आयोग के सदस्यों के चयन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 85 के तहत चयन समिति की अध्यक्षता एक न्यायाधीश को करनी है।

लेकिन एक बार फिर परंतुक में कहा गया है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर लागू नहीं होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। इसका प्रभाव यह है कि यदि राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति न्यायाधीश है, तो राज्य आयोग के मुख्य न्यायाधीश के साथ आवश्यक परामर्श करना होगा। धारा 84 (2) के परंतुक के अनुसार उच्च न्यायालय।

आयोग संबंधित है, चयन समिति के अध्यक्ष ऊर्जा के प्रभारी योजना आयोग का सदस्य होना चाहिए

सेक्टर। एक बार फिर, धारा 78 का परंतुक केंद्रीय आयोग, गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. के अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति को अपवाद बनाता है।

जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, उस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाना चाहिए। 15. विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण उक्त अधिनियम के भाग 11 में प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 111 अपीलीय अपील से संबंधित है।

उक्त अधिनियम के तहत एक न्यायनिर्णायक अधिकारी या उक्त अधिनियम के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा दिए गए आदेशों से न्यायाधिकरण। उक्त अधिनियम की धारा 112 अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना से संबंधित है। न्यायाधिकरण कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक न्यायिक सदस्य के साथ पीठों में बैठता है। तकनीकी सदस्य। उक्त अधिनियम की धारा 113 में अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान है। अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो। इस प्रकार, इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का नेतृत्व करने वाला एक वरिष्ठ न्यायिक दिमाग है और अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ में अनिवार्य रूप से कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होना चाहिए।

महान्यायवादी का तर्कः

16. भारत संघ और गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी ने हमें प्रावधानों के बारे में बताया

और उक्त अधिनियम की योजना और न्यायिक घोषणाओं को संदर्भित किया। उन्होंने कानून को पढ़ने के लिए प्रचार किया और इस प्रकार, अनुरोध किया कि जहां विधायिका ने अपने विवेक में "मई" शब्द का उपयोग जानबूझकर किया था, वहां इसे "विल" के रूप में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विद्वान महान्यायवादी ने इस बात पर जोर देने की मांग की कि दोनों के कार्य आयोग प्रकृति में अधिक तकनीकी होते हैं और वास्तव में कानूनी दिमाग की आवश्यकता वाले निर्णयात्मक तत्व नहीं होते हैं। यह इस तथ्य से अलग है कि ऐसा नहीं है कि कोई गैर-वकील या गैर-न्यायाधीश किसी कानूनी मुद्दे की सराहना करने में असमर्थ है, क्योंकि इन क्षेत्रों से मध्यस्थ भी नियुक्त किए जाते हैं जब विवाद अधिक तकनीकी होता है। प्राथमिक कार्य शुल्क का निर्धारण, बिजली खरीद और वितरण लाइसेंसधारियों की खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना, अंतर-राज्य सुविधा प्रदान करना है।

संचरण, अनुज्ञप्ति जारी करना, सह-उत्पादन को बढ़ावा देना और

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन, शुल्क लगाना आदि। उक्त अधिनियम की धारा 86 के तहत राज्य आयोग और उक्त अधिनियम की धारा 79 के तहत केंद्रीय आयोग के लिए सूचीबद्ध 11 कार्यों में से, लाइसेंसधारियों के बीच विवादों का निर्णय और [2018] 9 एस. सी. आर. उत्पन्न करना।

कंपनियाँ और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना केवल एक ही है, जिसे कोई भी न्यायिक स्वाद कहा जा सकता है। वास्तव में, यह तर्क दिया गया था कि कार्य की प्रकृति कुछ ऐसी नहीं होगी जिसके साथ न्यायाधीश सहज हों, प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी होने के कारण, और न ही न्यायाधीश ऐसे तकनीकी मामलों के लिए प्रशिक्षित हैं। प्राधिकरण के कार्यों और कर्तव्यों के संदर्भ में, उक्त अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। धारा 16 अनुज्ञप्ति की शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए एक उपयुक्त आयोग की अपेक्षा करती है। उक्त अधिनियम की धारा 45 में शुल्क वसूलने की शक्ति का प्रावधान है, उक्त अधिनियम की धारा 46 में कहा गया है

चरित्र में, क्योंकि यह एक न्यायाधीश नियुक्त करने का विकल्प देता है। यह तर्क दिया गया था कि एक न्यायाधीश होने की संभावना हो सकती है, शायद ही कभी, जैसा कि यह हो सकता है, इस क्षेत्र में विशेषज्ञ जिन्हें इस प्रकार नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि, यदि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया उसके कारण से अलग है।

संवैधानिक पद धारण करने के कारण और इस प्रकार, गठित चयन समिति नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगी, लेकिन परामर्श संबंधित मुख्य न्यायाधीश के साथ होना चाहिए।

17. इसके बाद विद्वान महान्यायवादी ने तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया।

निगम लिमिटेड बनाम। पी. पी. एन. पावर जेनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 'जिसमें यह अधिनियम विचाराधीन था। यह मामला अन्य बातों के साथ-साथ तमिलनाडु में राज्य आयोग की अधिकारिता से संबंधित है कि वह या तो किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करे या इसे उक्त अधिनियम की धारा 86 (1) (च) के तहत मध्यस्थता के लिए भेजे, जिसे उचित रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता थी और मनमाने ढंग से नहीं। पैरा 55 में, न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण को अपनी अभेद्यता दी जो न्यायनिर्णायक है।

1 (2014) 11 एस. सी. सी. 53 गुजरात और ओ. आर. एस. राज्य। वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति में राज्य आयोग द्वारा आम तौर पर कार्य नहीं किए जाने चाहिए, विशेष रूप से उन विवादों के संबंध में जो शुल्क निर्धारण या परामर्श और उपदेशक से उचित रूप से संबंधित नहीं हैं।

राज्य आयोग के अनुशंसित कार्य। उक्त संदर्भ में, किहोतो होल्लोहन बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था। ज़चिल्लु 'जो दसवें के पैरा 6 (1) के तहत अध्यक्ष या अध्यक्ष की शक्ति की प्रकृति की जांच करता है।

भारत के संविधान की अनुसूची। अभिलिखित निष्कर्ष यह है कि राज्य आयोग ने उत्पादन करने वाली कंपनी से संबंधित एल. आई. तय करने में

न्यायिक कार्यों का निर्वहन कर रहा था और दूरगामी प्रभाव की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा था और इसलिए इसमें न्यायालय के आवश्यक 'जाल' होने चाहिए जिनके लिए यह कहा गया था। यह केवल राज्य आयोग में एक या अधिक न्यायिक सदस्यों की उपस्थिति से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे जटिल संविदात्मक या नागरिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है।

आम तौर पर एक दीवानी अदालत द्वारा निर्णय लिया जाता। "यह भी देखा गया कि राज्य आयोग के निर्णयों के दूरगामी परिणाम थे और वे न्यायिक समीक्षा के अधीन पक्षकारों के बीच अंतिम और बाध्यकारी थे। 18. इसके बाद पीठ उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) की जांच करने के लिए आगे बढ़ती है। यह देखा गया कि धारा 84 (2) राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने में सक्षम बनाती है।

ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी। इस प्रकार, जहां जटिल कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं, यह देखा गया कि राज्य आयोग में एक या अधिक न्यायिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हो जाएगी। तमिलनाडु राज्य आयोग में कोई न्यायिक सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था और इस प्रकार, संबंधित अधिकारियों को वांछनीयता पर गौर करने की आवश्यकता थी और

अध्यक्ष के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करने की व्यवहार्यता, उन व्यक्तियों में से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं।

19. उक्त अधिनियम की धारा 113 के प्रावधानों का उल्लेख इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किया गया था कि विधायिका इस बात से अवगत थी कि राज्य आयोग के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य न्यायिक प्रकृति के हैं और इस प्रकार, अपीलीय प्राधिकरण के पास न्यायालय के अधिकार हैं। उक्त अधिनियम की धारा 84 के तहत इस आवश्यक विशेषता को अनिवार्य नहीं बनाया गया था। पीठ की राय में, राज्य सरकार के लिए यह "उचित" होगा कि वह धारा के तहत सक्षम करने की शक्ति का प्रयोग करे।

2 1992 एस. सी. सी. 651 [2018] 9 एस. सी. आर.

84 (2) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए उक्त अधिनियम। उपरोक्त

विद्वान महान्यायवादी द्वारा चर्चाओं को यह स्पष्ट करने के लिए संदर्भित किया गया था कि मामले में शामिल प्रश्न वास्तव में उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) से संबंधित नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ टिप्पणियां की गई थीं। संविधान के भाग XIV A के तहत परिकल्पित न्यायाधिकरण

यह एक अलग आधार पर खड़ा है और इसलिए इसकी तुलना आयोग से नहीं की जा सकती है। किसी भी मामले में, टिप्पणियों से ही पता चलता है कि पीठ उक्त अधिनियम की सीमाओं के प्रति सचेत थी और इस प्रकार, उसने निर्देश जारी करने के बजाय केवल राज्य सरकार को सलाह दी। वैकल्पिक रूप से, चर्चा कम से कम एक सदस्य की वांछनीयता और व्यवहार्यता के संदर्भ में थी, जिसके पास एक अध्यक्ष के न्यायाधीश होने की अनिवार्य आवश्यकता के बजाय कानूनी ज्ञान था।

20. इसके बाद, परीना स्वरूप बनाम में निर्णय का उल्लेख करते हुए। 3. इस बात पर जोर दिया गया कि उक्त अधिनियम के तहत आयोग के कार्यों की प्रकृति को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक न्यायाधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों के बराबर नहीं माना जा सकता है, जो एक न्यायिक कार्य है। ये टिप्पणियां न्यायाधिकरणों के निर्माण के संदर्भ में की गई थीं, जो पहले नियमित न्यायिक मंचों द्वारा किए गए कार्यों को करने की मांग कर रहे थे। कार्य, अब के साथ निहित उक्त अधिनियम के तहत उपयुक्त आयोग, वास्तव में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम के तहत निष्पादित किया जा रहा था।

21. उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं का, इस प्रकार, प्रचार किया गया था, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था कि

यह निष्कर्ष निकालना कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर अनिवार्य रूप से एक न्यायाधीश का कब्जा होना चाहिए, हालांकि उस पर कब्जा किया जा सकता है

एक न्यायाधीश द्वारा।

22. हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण भी निहित शक्तियों की प्रकृति पर आधारित है।

उक्त अधिनियम की धारा 94,95 और 96 के तहत उपयुक्त आयोग, जो निम्नानुसार हैं:

" 94. उपयुक्त आयोग की शक्तियाँ। - (1) उपयुक्त आयोग के पास, इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल अदालत में निहित हैं। निम्नलिखित मामलों का सम्मान, अर्थात्:

(2008) 14 एस. सी. सी. 107 ए. टी. ई. ऑफ गुजरात एंड ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

(क) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जाँच करना;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री की खोज और उत्पादन

साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने योग्य वस्तु;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

((घ) किसी भी सार्वजनिक अभिलेख का अधिग्रहण;

(ङ) गवाहों की जाँच के लिए आयोग जारी करना; (च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(2) उपयुक्त आयोग के पास उपयुक्त आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां होंगी, जिस पर वह आयोग विचार करे।

उचित है। (3) उपयुक्त आयोग किसी भी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, उपभोक्ता हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

उसके समक्ष कार्यवाही।

95. आयोग के समक्ष कार्यवाही। - इससे पहले की सभी कार्यवाही उपयुक्त आयोग को न्यायिक माना जाएगा

धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर कार्यवाही भारतीय दंड संहिता और उपयुक्त आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

96. प्रवेश और अभिग्रहण की शक्तियाँ। - उपयुक्त आयोग या आयोग द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता है।

या वह स्थान जहाँ आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि जाँच की विषय वस्तु से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ पाया जा सकता है, और वह ऐसे किसी भी दस्तावेज़ को जब्त कर सकता है या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के प्रावधानों के अधीन वहाँ से उद्धरण या प्रतियाँ ले सकता है, जहाँ तक यह लागू हो।

23. आयोग के 'ट्रैपिंग कोर्ट' होने के संदर्भ में एक न्यायाधीश द्वारा एक उपयुक्त आयोग के पक्ष में निष्कर्ष उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर निकाला जाता है, इसके अलावाःसदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान और

व्यक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ए. No.13451/2015 (तमिलनाडु राज्य का रुख):

24. राज्य सरकार, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 1 के विवादित निर्णय के अनुसार सफल होने के बाद, मद्रास पीठ द्वारा लिए गए विचार का समर्थन किया और मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ के तर्कों को अपनाया।

विद्वान महान्यायवादी। श्री शेखर नाफडे, विद्वान वरिष्ठ तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उक्त अधिनियम की पूरी योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह कि

अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए धारा 84 की उप-धारा (2) को असमान महत्व दिया जा रहा था, आयोग द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को महसूस नहीं करते हुए, जिनमें से न्यायनिर्णायक कार्य केवल एक छोटा प्रतिशत थे।

सी. ए. No.14697/2015 (गुजरात राज्य नियामक आयोग की याचिका):

25. गुजरात राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने यह दलील दी कि प्रश्न, अर्थात, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड * में निर्णय न्यायाधीश के लिए अध्यक्ष होना अनिवार्य कहाँ बनाता है? इन शब्दों को ही चरित्र में अनुशंसित कहा गया था, जिन्हें विद्वान अटॉर्नी जनरल पहले ही पढ़ चुके थे। वैकल्पिक रूप से, यह अनुरोध किया गया कि की गई टिप्पणियां वास्तव में आज्ञाकारी थीं, क्योंकि राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का मुद्दा उस मामले में न्यायालय के समक्ष नहीं था।

26. फिर उन्होंने एक सवाल पूछाः —- जब अधिनियम और निर्णय अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति को अनिवार्य नहीं बनाते हैं, तो क्या कोई अन्य सामग्री है, जिसे न्यायाधीश के रूप में अध्यक्ष की नियुक्ति को अनिवार्य बनाने के लिए कहा जा सकता है? इस ओर से उन्होंने प्रस्तुत किया कि विपरीत पक्ष केवल मद्रास बार एसोसिएशन बनाम पर वापस आ सकता है। भारत संघ और Anr.[3] (MJ-II)। उक्त निर्णय राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के तहत राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के निर्माण से संबंधित था

अधिनियम, 2005। न्यायाधिकरण का गठन उच्च न्यायालयों में निहित कर कानूनों के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए किया गया था। बहुमत का मानना था कि अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों के कारण संवैधानिकता की कसौटी को पार नहीं कर सका। उक्त मामले में, संविधान पीठ के पहले के फैसले का संदर्भ दिया गया था

4 ऊपर

$ (2014) 10 एस. सी. सी. 1 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन '(एम. जे.-आई.), न्यायालयों से न्यायाधिकरणों में न्यायिक कार्यों को स्थानांतरित करते समय कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है। यह देखा गया कि ऐसे न्यायाधिकरणों को अदालतों के समान स्वतंत्रता, सुरक्षा और क्षमता होनी चाहिए

तकनीकी सदस्य की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता और "कानून के शासन" पर भ्रम और अतिक्रमण का एक स्पष्ट मामला होगा। सदस्यों के कद पर, यह देखा गया कि यह हस्तांतरित अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करेगा, अर्थात यदि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित किया जाता है, तो नवगठित न्यायाधिकरण के सदस्यों के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यता होनी चाहिए। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी यही स्थिति होगी। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में न्यायिक समीक्षा की ऐसी प्रक्रिया। भारत संघ (एम. जे.-II) को संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा माना गया था। 27. उक्त अधिनियम के तहत किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में, यह देखा गया कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं था जहां न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी जो न्यायिक मंच में निहित थीं। न्यायिक समीक्षा के महत्व और इसकी पवित्रता को अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना द्वारा बनाए रखा गया था, जो आयोग के आदेशों से अपीलों की सुनवाई करेगा। आयोग के कार्यों को काफी हद तक तकनीकी प्रकृति का बताया गया था, और इस प्रकार, आयोग का नेतृत्व करने के लिए किसी न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं होगी। विकल्प में, यह कहा गया था कि, सबसे अच्छा, एक अनिवार्य कानूनी सदस्य की आवश्यकता को प्रावधानों में पढ़ा जा सकता है, हालांकि क़ानून की स्पष्ट शर्तें ऐसा नहीं कहती हैं।

' (2010) 11 एससीसी 1

केवल धारा 84 (2) के वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से जिसे उसके परंतुक के साथ पढ़ा जाता है।

29. विद्वान वकील ने तमिलनाडु पीढ़ी का भी उल्लेख किया

और वितरण निगम लिमिटेड, विशेष रूप से पैरा 25 के लिए,

जिसमें अपीलार्थी के वकील का इस आशय का निवेदन दर्ज किया गया है कि राज्य आयोग एक न्यायिक निकाय नहीं हो सकता है।

वास्तव में उस मामले में नियुक्ति की गई थी और न ही आयोग ने न्यायिक सदस्य होना चाहिए और इस प्रकार, यह मद्रास बार एसोसिएशन (एमजे-आई) में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के विपरीत था। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह इस तर्क के संदर्भ में है कि उस निर्णय में पीठ द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, वह

जो तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में अपीलार्थी के लिए तत्कालीन वकील की दलीलों को दर्ज करता है और जो निर्णय के पैरा 59 में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, अर्थात न्यायनिर्णायक कार्य आम तौर पर न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति में राज्य आयोग द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, जो निष्पक्ष नहीं हैं। शुल्क निर्धारण या राज्य आयोग के सलाहकार और सिफारिश करने वाले कार्यों के संबंध में।

30. इसके बाद विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने धारा 86 (1) (च) की ओर रुख किया।

उक्त अधिनियम और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में निर्णय को संदर्भित किया गया। एस्सार पावर लिमिटेड 1 "(जी. जे.-आई.) यह प्रस्तुत करने के लिए कि अभिव्यक्ति 'और',

उप-धारा 86 (1) (च) में प्रयुक्त को पहले ही 'या' के रूप में पढ़ा जा चुका है। स्पष्टता के लिए, उप-खंड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 86. राज्य आयोग के कार्य। - (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

8 ऊपर

ऊपर

10 ऊपर

11 1 1 (2008) 4 एस. सी. सी. 755 गुजरात और ओ. आर. एस. राज्य।

वी. UTILITY उपयोगकर्ताओं का कल्याण

संगठन और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

(च) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच विवादों पर निर्णय लेना और

कंपनियों को उत्पन्न करना और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना;

(जोर दिया गया)

31. इसलिए, इस संबंध में राज्य आयोग के कार्य

उपरोक्त खंड के बीच के विवादों पर निर्णय को संदर्भित करता है

अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ-साथ मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद के संदर्भ के कार्य के लिए भी। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में पैरा 40 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था ताकि यह तर्क दिया जा सके कि मध्यस्थ के न्यायिक व्यक्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि गुजरात राज्य आयोग के कामकाज के संबंध में एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि

न्यायनिर्णायक कार्य 10 प्रतिशत से अधिक नहीं थे। बड़ी संख्या में कार्य शुल्क निर्धारण के थे, जो 30 प्रतिशत से अधिक था, जबकि नियामक कार्य 59 प्रतिशत थे और लाइसेंस का अनुदान प्रतिशत का एक अंश था।

32. संघ में निर्णय के पढ़ने पर जोर

अधिनियम, 1998 ने राज्य आयोग के आदेश से कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान किया। इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए एक प्रतिस्थापन के रूप में गठित किया जाता है जिसे उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित किया जाता है। विद्वान वकील ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम में उपसंहार का भी उल्लेख किया। एस्सार पावर Ltd.[1] (जी. जे.-2), जो न्यायाधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण मुद्दे और उनके वैधानिक ढांचे से संबंधित है। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में टिप्पणियों के संदर्भ में। भारत संघ और Anr.[1] (MJ-II), पैरा 33 में यह कहा गया था कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून बिजली अधिनियम या अन्य के तहत न्यायाधिकरणों की संरचना की समीक्षा के लिए कह सकता है।

12 ऊपर

13 ऊपर

14 (2016) 9 एससीसी 103

ऊपर [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित कानून। यह इसलिए था कि कानून के प्रश्नों या कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस न्यायालय में एक अपील से पता चलता है कि न्यायाधिकरण सौदा करते हैं।

इस तरह के प्रश्नों या महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और यह कि इस न्यायालय में सीधी अपील उच्च न्यायालय तक पहुंच से इनकार करने का परिणाम है। इस प्रकार, ऐसे न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों के लिए एक विकल्प बन जाते हैं, ऐसे न्यायाधिकरणों में नियुक्ति का तरीका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके के समान नहीं होता है।

33. अंत में, विद्वान वकील ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम का उल्लेख किया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

जहां विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 3 के तहत एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में गठित केंद्रीय आयोग के कार्य के लिए अवलोकन किए गए थे, जिसे शुल्क के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था, जिसमें अत्यधिक तकनीकी प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें न केवल कानून के काम करने के ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि शुल्क के निर्धारण के संबंध में मुद्दों को विशेषज्ञ निकाय और आम तौर पर उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए और यहां तक कि इस न्यायालय को भी शुल्क के निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

34. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने अधिनियम की अपनी व्याख्या और गुजरात उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को चार सूत्री आधार पर चुनौती देने की मांग कीः

आई. धारा 85 के तहत सदस्यों के लिए चयन समिति का गठन उस न्यायाधीश पर लागू नहीं होता है जिसके लिए एक अलग न्यायाधीश होता है।

धारा 84 (2) के तहत चैनल। इस प्रकार, इस हद तक कि धारा 85 एक अध्यक्ष को संदर्भित करती है, उस हिस्से को वैकल्पिक बनाया जाएगा, यदि -

अध्यक्ष के रूप में केवल न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है।

ii. उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति एक सक्षम प्रावधान है न कि एक अनिवार्य प्रावधान। iii.
तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में टिप्पणियों को, यदि अध्यक्ष के न्यायाधीश होने के लिए एक बाध्यकारी निर्देश देने के लिए पढ़ा जाता है, तो यह वांछनीय होगा क्योंकि यह अदालत के समक्ष मुद्दा नहीं था।

iv. न्यायाधिकरण का नेतृत्व करने के लिए एक न्यायाधीश होने की आवश्यक और अनिवार्य आवश्यकता केवल तभी होती है जब न्यायिक कार्य को उच्च न्यायालय से न्यायाधिकरणों में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की जाती है।

16 (2011) 12 एससीसी 400

17 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

35. अब दूसरे दृष्टिकोण और विभिन्न संस्थाओं की ओर मुड़ते हुए, जो अध्यक्ष के लिए अनिवार्य रूप से न्यायाधीश होने के लिए प्रचार करते थे

सिविल अपील में हस्तक्षेप करने वालों (भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ) का रुख No.13451/2015: 36. उपरोक्त संस्था की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साजन पूवय्या ने गुजरात के तर्क का समर्थन करने की मांग की और कहा कि आयोग में कम से कम एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए, जो अध्यक्ष होना चाहिए। वह आयोग के अध्यक्ष में निहित शक्तियों की प्रकृति के कारण इस दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहते हैं और उन्होंने धारा 92 का उल्लेख किया है, जो निम्नानुसार हैः

" 92. उपयुक्त आयोग की कार्यवाही। - (1) द.

उपयुक्त आयोग की बैठक प्रधान कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर ऐसे समय होगी जब अध्यक्ष निर्देश दे और वह अपनी बैठकों में कार्य के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा (जिसमें इसकी बैठकों में कोरम भी शामिल है) जो वह कर सकता है।

निर्दिष्ट करें। (2) अध्यक्ष, या यदि वह उपयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो आयोग द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य

इस संबंध में अध्यक्ष और ऐसे नामांकन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष नहीं है, वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

बैठक होती है।

(3) उपयुक्त आयोग की किसी भी बैठक से पहले आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति।

दूसरा या निर्णायक मतदान होगा।

(4) उप-धारा (3) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।

(5) उपयुक्त आयोग के सभी आदेशों और निर्णयों को इसके सचिव या अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

37. इस प्रकार, धारा 92 की उप-धारा (2) के अनुसार, अध्यक्ष को एक ऐसे सदस्य को नामित करने का अधिकार है जो अपने [2018] 9 एस. सी. आर. में बैठक की अध्यक्षता करेगा।

अनुपस्थिति और उप-धारा (3) के अनुसार, अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह निर्णय प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, जो बहुमत से है और इस प्रकार, आयोग द्वारा संचालित शक्ति के पहलू के अलावा अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक सदस्य की आवश्यकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 94 से 96 तक।

मदुरै पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का रुखः 38. श्री मोहन परासरन, उपरोक्त हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 84 (1) का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि जहां कानून के किसी व्यक्ति का संदर्भ दिया जाता है, वह न्यायिक सदस्य का संदर्भ नहीं हो सकता है। यह केवल धारा 84 (2) में है कि एक व्यक्ति का एक विशिष्ट संदर्भ है, जो अध्यक्ष होने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। इस प्रकार, कानून के एक व्यक्ति की उपस्थिति एक न्यायाधीश की आवश्यकता का विकल्प नहीं होगी जो निर्णय लेने में एक न्यायिक विचार प्रक्रिया लाएगा। इस संबंध में उन्होंने कहा कि

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में टिप्पणियां। भारत संघ & Anr.[1] 18 (एमजे-II)। हालाँकि, हम इस स्तर पर ही जोड़ सकते हैं कि ये वही अवलोकन हैं, जो जमीनी स्थिति से संबंधित हैं जहाँ

न्यायालय के न्यायिक कार्यों को न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

39. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का पैरा 59 "केवल प्रस्तुत करने को दर्ज करता है

अपीलार्थी के लिए तत्कालीन वकील जबकि अनुपात पैरा 60 में निहित है। यह अनुपात एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) के सक्षम चरित्र की बात करता है और उस स्थिति में नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जानी है। इस संदर्भ में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक निर्णय का अनुपात कुछ ऐसा है जिसे कुछ स्थापित सिद्धांतों पर निकाला जाना चाहिए, न कि प्रत्येक से। प्रत्येक अवलोकन की रेखा। इस संदर्भ में उन्होंने प्राकृतिक संसाधन आवंटन में विशेष संदर्भ संख्या 1 के निर्णय का उल्लेख किया।

"घोषित कानून" वह सिद्धांत है जो उठाए गए प्रश्नों के आलोक में समग्र रूप से निर्णय को पढ़ने पर निकाला जाता है, जिस पर - 18 ऊपर

19 ऊपर

20 (2012) 10 एस. सी. सी. 1 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

मामला तय हो गया है "। अदालतों पर जो बाध्यकारी है, वह फैसले का अनुपात है। यह निर्णय का सार है और वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है जिसे निर्णय के विषय के संबंध में निर्धारित किया जाना है।

सिविल अपील में मद्रास बार एसोसिएशन (मूल याचिकाकर्ता) का रुख No.13451/2015

40. मद्रास उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को चुनौती

उस मामले में अदालत श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा रखी गई थी। उन्होंने यह तर्क देना चाहा कि वर्ष 1991 में एक प्रतिमान देखा गया

देश में आर्थिक कार्यप्रणाली में बदलाव जहां राज्य के कार्यों को निजी खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया था। यह नहीं होना चाहिए था अनियमित और इस प्रकार, संसद ने एक नियामक निकाय प्रदान किया। जब तक उक्त अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था, तब तक संसद बुद्धिमान हो गई थी और इस प्रकार, इस अधिनियम में नियामक आयोग का नेतृत्व करने के लिए एक न्यायाधीश की आवश्यकता की शुरुआत की गई थी।

41. अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों की ओर मुड़ते हुए, उन्होंने उल्लेख किया

उक्त अधिनियम की धारा 82 (4), जिसमें प्रावधान है कि एक राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे। धारा 2 (43), एक सदस्य को अध्यक्ष को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है और निम्नानुसार पढ़ती हैः

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है,

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(43) " सदस्य "से उपयुक्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है।

या प्राधिकरण या संयुक्त आयोग, या अपीलीय न्यायाधिकरण,

मामला हो सकता है और इसमें ऐसे आयोग का अध्यक्ष भी शामिल हो सकता है।

या प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण; "

42. आयोगों की बैठकों में उत्पन्न होने वाले विवाद

उक्त अधिनियम की धारा 86 (1) (च) पर निर्णय लिया जा रहा है, जिन्हें वर्गीकृत किया गया है।

डी. आर. पी. (विवाद समाधान याचिका) मामलों में। निश्चित रूप से, शुल्क निर्धारण निर्णयात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 4 उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) के समान है, लेकिन न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा ही था

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4 की स्थिति बताई गई है। दूसरी ओर, विशिष्ट प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) को [2018] 9 एस. सी. आर. के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

अधिनियमन के उद्देश्य और कारण, अर्थात, नियामक निकाय को सरकार से दूर करना।

43. विद्युत नियामक को संदर्भित विद्वान वरिष्ठ वकील

आयोग अधिनियम, 1998 यह प्रस्तुत करने के लिए कि उस अधिनियम की धारा 17 उक्त अधिनियम की धारा 84 का पूर्व अवतार था, जबकि उस अधिनियम की धारा 18 उक्त अधिनियम की धारा 85 का पूर्व अवतार थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम का भी संदर्भ दिया गया था। 2006 , विशेष रूप से उस अधिनियम की धारा 3 (3) के लिए। शुल्क नियामक कार्य उक्त अधिनियम की धारा 62 और 64 के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रचलित प्रावधानों पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संविधान की जांच ब्रह्म दत्त बनाम में की गई थी। भारत संघ "1. तर्क समान था, अर्थात, आयोग के कार्य एक न्यायिक निकाय के अधिक होने के कारण

न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार

आयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के पास होना चाहिए और इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। तर्क यह था कि आयोग का अध्यक्ष न्यायपालिका से जुड़ा व्यक्ति होना चाहिए जिसे आयोग के प्रमुख द्वारा इस पद के लिए चुना गया हो।

न्यायपालिका और न्यायपालिका के प्रमुख के संदर्भ के बिना कार्यपालिका द्वारा नियुक्त नौकरशाह या अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने पैरा 6 में कहा कि यदि एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया जाना है, जैसा कि भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप है, तो यह उचित हो सकता है -

दो अलग-अलग निकायों के निर्माण पर विचार करें-एक विशेषज्ञता के साथ, यानी, सलाहकार और नियामक और दूसरा न्यायनिर्णायक। इसके बाद एक अपीलीय निकाय द्वारा विचार किया जाता है, जो रिट याचिका में उठाई जाने वाली चुनौती को पूरा करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। जहाँ तक आयोग के कामकाज का संबंध है, यह देखा गया कि इसके कई न्यायिक कार्य भी हैं।

44. गुजरात ऊर्जा विकास निगम Ltd.[22] 22 (GJ-I) में, उक्त अधिनियम की धारा 86 (1) (f) और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के बीच निहित संघर्ष का मिलान किया गया और इसे लागू किया गया सामंजस्यपूर्ण निर्माण सिद्धांतों (मीमांसा सिद्धांतों) में यह देखा गया कि जहां लाइसेंसधारी और उत्पादन करने वाली कंपनी के बीच विवाद है, केवल राज्य आयोग या केंद्रीय आयोग या

21 (2005) 2 एस. सी. सी. 431

22 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

इसके द्वारा नामित मध्यस्थ ऐसे विवादों का समाधान कर सकता है, जबकि अन्य सभी विवादों (जब तक कि बिजली अधिनियम, 2003 में कोई अन्य प्रावधान न हो) का निर्णय मध्यस्थता की धारा 11 के अनुसार किया जाएगा।

सुलह अधिनियम, 1996। यह विवाद समाधान से संबंधित भाग XVI में उक्त अधिनियम की धारा 158 के अनुरूप भी कहा गया था, जहां मध्यस्थता और मध्यस्थता के संदर्भ में मध्यस्थता का प्रावधान किया गया था।

सुलह अधिनियम, 1996।

45. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह इंगित करने की कोशिश की कि किसी भी न्यायाधीश को कभी भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। वास्तव में, उक्त अधिनियम की धारा 85 (2) के अधिदेश के लिए यह आवश्यक था कि सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले

या अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के अंत में, रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को एक संदर्भ दिया जाना चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 84 में "मई" शब्द को "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वैकल्पिक प्रस्तुति यह थी कि जब कोई रिक्ति हो

किसी भी मामले में, कम से कम एक कानूनी दिमाग होना चाहिए, जिसका सीधे तौर पर विचाराधीन विशेष क्षेत्र के साथ कोई सामान या पिछला संबंध नहीं है। यह था। धारा 86 (1) (च) के अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 33 (4) निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है, यदि बिजली की गुणवत्ता या सुरक्षित, सुरक्षित और एकीकृत के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है।

राज्य ग्रिड और धारा 9 (2) परंतुक का संचालन, जो एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के निर्माण और रखरखाव के संदर्भ में है और

उसी का संचालन कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से बिजली को उसके उपयोग के गंतव्य तक ले जाने के उद्देश्य से खुली पहुंच का हकदार है, इस तरह की खुली पहुंच बनाने के प्रावधान के साथ केंद्र द्वारा निर्धारित की जाने वाली पर्याप्त संचरण सुविधा की उपलब्धता के अधीन

पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता। दूसरे परंतुक के अनुसार, पारेषण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में किसी भी विवाद को निर्णय के लिए उपयुक्त आयोग को भेजा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये दो उदाहरण हैं जिनमें स्पष्ट रूप से एक न्यायनिर्णायक की आवश्यकता होती है।

दिमाग का झुकना।

टी. सी. (C) No.139/2015

46. यह याचिका मद्रास उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान शक्ति के प्रयोग के खिलाफ दायर की गई है।

शुल्क वृद्धि के संबंध में और उस प्रक्रिया में [2018] 9 एस. सी. आर. को चुनौती देने की मांग की गई।

अध्यक्ष की नियुक्ति और यह प्रचार करना चाहता है कि उसके लिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना अनिवार्य है। टी. सी. (C) No.138/2015

47. मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर यह याचिका, एक बार फिर, एक अधिवक्ता द्वारा, कथित रूप से जनहित में है। इसके अलावा राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीश का मूल मुद्दा, पिछली स्थानांतरण याचिका की तरह, कुछ अधिसूचनाओं पर भी हमला किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सदस्यों के चयन के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन करते हुए दिनांक 26.9.2013 पर एक अधिसूचना प्रकाशित की थी

उक्त अधिनियम की धारा 85 के संदर्भ में आयोग। यह चयन प्रक्रिया

तीन महीने में पूरा करने की आवश्यकता थी और सदस्यों के पद के लिए कम से कम दो नामों की सिफारिश करनी थी। समिति ने 27.12.2013 पर श्री जी. राजगोपाल (प्रतिवादी संख्या 7) के नाम की सिफारिश की। इस नियुक्ति पर विशेष रूप से इस आधार पर हमला किया गया है कि वह अभी भी निदेशक (वित्त), टैंगेडको के रूप में काम कर रहे थे, जब चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी, और श्री राजगोपाल ने स्वैच्छिक रूप से काम करने का विकल्प चुना था।

चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश के बाद सेवानिवृत्ति। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना 31.12.2013 पर जारी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने 9.1.2014 पर पदभार ग्रहण किया।

48. मद्रास उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में कहा गया था कि अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की आवश्यकता नहीं है।

7.2.2014 .

49. एक अन्य अधिसूचना दिनांक 27.2.2014 प्रकाशित की गई थी जिसमें पद के लिए एक व्यक्ति का चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था।

अध्यक्ष। श्री एस. अक्षयकुमार (प्रतिवादी संख्या 6) 31.5.2014 पर टैंट्रांस्को के प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए और राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

अधिसूचना दिनांक 6.6.2014,9.6.2014 पर प्रभार ग्रहण करते हुए।

50. 12.12.2014 पर, राज्य आयोग में सदस्य और अध्यक्ष के रूप में इन दो व्यक्तियों और श्री एस. नागलसामी ने एक पारित किया

टैन्जेडको द्वारा 2 के बहुमत से टैरिफ वृद्धि की अनुमति देने वाला टैरिफ आदेशः 1 प्रत्यर्थी Nos.6 और 7 ने शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर सहमति व्यक्त की, जबकि तीसरे सदस्य (श्री नागलस्वामी) असहमत थे। असहमति स्वतः संज्ञान शुल्क आदेश की वैधता पर थी।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

कंपनियाँ। 52. मूल याचिकाकर्ता इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ उनके द्वारा धारण किए गए पद के कारण पक्षपात का आरोप लगाना चाहता है। विद्वान वकील उपस्थित हो रहे हैं

याचिकाकर्ता की ओर से राजेश अवस्थी बनाम में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया गया है। नंद लाल जयसवाल 23 जिसमें हमला करने की प्रक्रिया में

आयोग में नियुक्ति, धारा 85 (5) का विश्लेषण किया गया। यह था।

यह मत व्यक्त किया गया कि उक्त उप-धारा (5) के तहत शक्ति का प्रयोग चयन समिति द्वारा किया जाना था न कि सरकार द्वारा। इस प्रकार, क्या पैनल द्वारा नामित व्यक्तियों का कोई वित्तीय या अन्य हित है,

जिसके अध्यक्ष के रूप में उनके कामकाज को प्रभावित करने की संभावना है, एक ऐसा मामला था जो पहले चयन समिति की संतुष्टि पर निर्भर करता था

राज्य सरकार को इसकी सिफारिश करना। मामले के तथ्यों में, यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति चयन के समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, इसलिए उसका कंपनी में वित्तीय और अन्य हित था, जो पूर्वाग्रहपूर्ण था।

आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित करता है। मोर मॉडर्न कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय v.

वित्तीय आयुक्त और सरकार के सचिव। हरियाणा और अन्र. 24 इसका भी उल्लेख किया गया था। विचाराधीन प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 (2) थी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 ने राज्य सरकार को अध्याय 5 में निर्दिष्ट शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन करने का अधिकार दिया। धारा 68 (2) में एक प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी परिवहन उपक्रम में मालिक, कर्मचारी या अन्यथा वित्तीय हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना था और यदि नियुक्ति के बाद ऐसा वित्तीय हित अर्जित किया गया था, तो उस व्यक्ति को राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन करने का अधिकार दिया गया था।

23 (2013) 1 एस. सी. सी. 501 24 (2002) 6 एस. सी. सी 269 [2018] 9 एस. सी. आर.

राज्य सरकार को ऐसे ब्याज के अधिग्रहण के बारे में लिखित सूचना देना आवश्यक है और वह पद खाली कर देगा। हरियाणा रोडवेज, एक राज्य उपक्रम, के महाप्रबंधक के कार्यालय में काम करने वाले परिवहन आयुक्त और यातायात प्रबंधक को उस अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (2) की शरारत के दायरे में रखा गया था। उक्त उप-धारा द्वारा विचार किए गए "वित्तीय हित" की प्रकृति की संकीर्ण अर्थों में जांच की गई थी और इसे आर्थिक प्रकृति के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ के रूप में माना गया था, जबकि व्यापक अर्थों में इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित शामिल होगा जो किसी व्यक्ति का किसी उपक्रम के वित्त के संबंध में है। इस तरह का हित एक ऐसे अधिकारी के हित को शामिल करने के लिए रखा गया था जो उपक्रम के वित्त का प्रबंधन करता है या जिस पर वित्तीय जवाबदेही का बोझ पड़ता है। विधायिका के इरादे को क़ानून को समग्र रूप से पढ़ने से समझा गया था।

53. हालाँकि, हम इस स्तर पर ही ध्यान दे सकते हैं कि उक्त मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स उस स्थिति से निपटता है जहाँ एक व्यक्ति था दोनों कार्यालयों को धारण करना।

टी. सी. (ग) No.140/2015 और टी. सी. (C) No.137/2015 & IA Nos.3 & 4/2016

54. जहाँ तक उपरोक्त याचिकाओं का संबंध है, वास्तव में हमारे सामने कोई नई सामग्री नहीं थी।

55. जहाँ तक सी. एल. पी. विंड फ़ार्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर आई. ए. Nos.3 और 4/2016 का संबंध है, टी. सी. में हस्तक्षेप की मांग करते हुए। (ग) No.137/2015, संबंधित हैं, हस्तक्षेप के लिए अनुरोध इस आधार पर किया जाता है कि न्यायालय तमिलनाडु विद्युत को उचित निर्देश जारी करता है।

समयबद्ध सुनवाई और आवेदक की याचिकाओं के त्वरित निर्णय के लिए नियामक आयोग, जो डी. आर. पी. Nos.62/2014 और 63/2014 है। न्यायालय आवेदनों में कोई योग्यता नहीं पाता है, क्योंकि प्रार्थनाएँ की गई हैं

आवेदन न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णित किए जा रहे न्यायाधिकरण के बाहर हैं। उसी के अनुसार उनका निपटान किया जाता है।

टी. पी (C) No.974/2016

56. यह स्थानांतरण याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री सुजाता बालाचंदर

अदालत ने यह दलील दी कि "हो सकता है" शब्द को विधायिका (बच्चन देवी और आर) के इरादे को ध्यान में रखते हुए "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वी. नगर निगम, गोरखपुर और अन्र 2,5)। आम तौर पर, यह देखा गया था, "हो सकता है" एक सक्षम या विवेकी है जबकि "होगा" अनिवार्य है जिसका अर्थ अस्थिर या अलंघनीय नहीं है। इस प्रकार, "मई" शब्द की व्याख्या कहाँ की जाए

25 (2008) 12 एस. सी. सी. 372 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

निर्देशिका अधिनियम के उद्देश्य को निरर्थक बना देगी, "हो सकता है" शब्द का अर्थ "होगा" होना चाहिए। यह अधिनियम वास्तव में जनता के हित में लागू किया गया था, जबकि सरकार को शुल्क के निर्धारण से दूर करने का प्रयास किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि सरकार से इस तरह की दूरी आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रशिक्षित न्यायिक दिमाग वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति द्वारा लाई जा सकती है।

57. ए. पी. शक्ति समन्वय समिति और अन्य को संदर्भित विद्वान वकील। वी. लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड & Ors.26, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आयोग के समक्ष आने वाले दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है या अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि यह एक सामान्य कंपनी के लिए निर्धारित सीमा द्वारा वर्जित है।

58. एक बार फिर, उक्त अधिनियम की धारा 94 से 96 के तहत आयोग की शक्तियों के साथ-साथ धारा 97 का भी उल्लेख किया गया, जो धारा 79 और 86 के तहत विवादों का न्यायनिर्णयन करने की शक्तियों और धारा 178 या 181 के तहत विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर आयोग के किसी भी सदस्य, सचिव, अधिकारी को शक्ति सौंपने का प्रावधान करता है, जो आवश्यक समझा जाए। 59. हमारा ध्यान अपीलीय प्राधिकरण के अपील No.184/2011 में दिनांकित 27.2.2013 के आदेश की ओर भी आकर्षित किया गया था, जिसमें कुछ

राज्य आयोग के कामकाज पर टिप्पणियां की गई हैं। जाहिरा तौर पर राज्य आयोग ने एक विशिष्ट याचिका पर न्यायाधिकरण के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया था और राज्य आयोग के इस रवैये को 'दुस्साहसी' और 'सबसे दुर्भाग्यपूर्ण' कहा गया था, जो 'न्यायिक दृष्टिकोण, न्यायिक ज्ञान और न्यायिक नैतिकता की कमी' को दर्शाता है। इस प्रकार, यह इंगित किया गया कि अध्यक्ष के रूप में एक न्यायाधीश की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप आयोग के ऐसे आदेश हो रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सहित कानून के सुस्थापित सिद्धांतों की अज्ञानता में हैं।

प्रत्युत्तर देने वाला जवाबः

60. हम वकील के प्रत्युत्तरों के साथ केवल इस हद तक काम कर रहे हैं कि वे प्रस्तुतियों से उत्पन्न कुछ जोड़ना चाहते हैं

26 (2016) 3 एस. सी. सी. 468 27 (2013) 10 एससीसी 359 [2018] 9 एस. सी. आर.

अधिवक्ता यह प्रचार करता है कि एक न्यायाधीश आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी ने भारत संघ बनाम में निर्णय का उल्लेख किया। नमित शर्मा 28 लेकिन फिर हम नोट कर सकते हैं कि

उन्नत सिद्धांत एक गैर-न्यायिक कार्य पर आधारित है। विद्वान ए. जी. ने अपीलीय न्यायाधिकरण से निपटने वाले भाग 11 का भी उल्लेख किया जहां धारा 111 (6) के तहत, अपीलीय न्यायाधिकरण कार्यवाही के रिकॉर्ड मांग सकता है और आदेश दे सकता है और अपने प्रस्ताव पर भी कार्य कर सकता है। प्रावधान इस प्रकार हैः

" 111. अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करें।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(6) अपीलीय न्यायाधिकरण, जांच करने के उद्देश्य से

द्वारा किए गए किसी भी आदेश की वैधता, औचित्य या शुद्धता इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी या उपयुक्त आयोग,

जैसा भी मामला हो, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, अपने आप में प्रस्ताव या अन्यथा, ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेख की मांग करना और

मामले में ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझे।

61. इतना ही नहीं, धारा 121 के तहत, आदेश, निर्देश या निर्देश

न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम के तहत अपने वैधानिक कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से उपयुक्त आयोग को भेजा जा सकता है। प्रावधान इस प्रकार हैः

" 121. अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति। - अपीलीय न्यायाधिकरण उपयुक्त आयोग या अन्य इच्छुक को सुनने के बाद

पक्षकार, यदि कोई हो, समय-समय पर ऐसे आदेश, निर्देश जारी करता है या

के लिए किसी भी उपयुक्त आयोग को निर्देश जो वह उचित समझे

इस अधिनियम के तहत अपने वैधानिक कार्यों का निष्पादन।

62. इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की योजना

अपीलीय प्राधिकारी को एक निकाय के रूप में देखता है जो आयोग की देखरेख कर रहा है, और इसकी अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। इस प्रकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही एक सक्षम प्रावधान किया गया हो।

63. श्री नाफडे, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

तमिलनाडु सरकार ने प्रस्तुत किया कि 11.12.2014 और 12.12.2014 दिनांकित आदेशों को अपील में असफल कर दिया गया था और यहां तक कि विशेष अनुमति याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, पारित आदेशों के गुण-दोष नहीं हो सकते।

28 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

64. ओ. पी. सं. 1/11 दिनांक 11.11.2011 में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। यह बिजली मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.1.2011 पर भेजे गए एक पत्र से उत्पन्न हुआ जिसमें शिकायत की गई थी कि अधिकांश राज्य वितरण उपयोगिताएँ वार्षिक रूप से दाखिल करने में विफल रही हैं। समय पर शुल्क संशोधन याचिकाएं और इस प्रकार, कई राज्यों के शुल्क संशोधन कई वर्षों से नहीं हुए थे। न्यायाधिकरण से सभी राज्य आयोगों को समय-समय पर शुल्क में संशोधन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करके उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। राज्य आयोग ने दो प्रश्न तैयार किए जिनमें से पहला प्रश्न इस प्रकार थाः

" (i) क्या राज्य नियामक आयोगों के पास अधिनियम की धारा 64 के तहत उपयोगिताओं द्वारा दायर किए जाने वाले शुल्क आवेदन के अभाव में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62,64 और 86 के तहत शुल्क निर्धारण के लिए स्वतः कार्रवाई शुरू करने का अधिकार क्षेत्र है? ”

65. इस सवाल का जवाब आयोग ने यह राय देते हुए दिया कि राज्य आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए

अधिनियम की धारा 64 के अनुसार शुल्क निर्धारण के लिए पढ़ें ए. आर. आर. दाखिल करने में देरी की स्थिति में शुल्क नीति के खंड 8.1 (7) के साथ, याचिका प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के एक महीने बाद वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा।

66. अनुभाग के प्रावधानों की ओर रुख करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

84 (2) उक्त अधिनियम ने इस बात पर जोर देने का प्रयास किया कि यह एक "बावजूद" खंड था जो इसके खाली पढ़ने से स्पष्ट है और यह स्पष्ट रूप से "उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद" कहता है। इस प्रकार, यह उप-धारा (1) में जो कहा गया है उसे हटा नहीं देता है। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया

डोमिनियन ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. वी. श्राइनबाई ए. ईरानी और Anr.29

29 (1955) 1 एससीआर 206 [2018] 9 एस. सी. आर.

गैर-अवरोधक खंड और धारा के संचारी भाग के बीच सन्निकटन, गैर-अवरोधक खंड आवश्यक रूप से और हमेशा आवश्यक नहीं है। कार्यात्मक भाग के साथ सह-व्यापक होना, ताकि किसी अधिनियम की स्पष्ट शर्तों में कटौती का प्रभाव हो। यदि अधिनियम के शब्द स्पष्ट हैं और उसके शब्दों के सरल और व्याकरणिक निर्माण पर केवल एक ही व्याख्या करने में सक्षम हैं, तो एक गैर-अवरोध खंड उस निर्माण में कटौती नहीं कर सकता है और इसके संचालन के दायरे को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में अबाधित खंड को पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और यह समझा जाना चाहिए कि विधानमंडल द्वारा अधिनियम में प्रचुर सावधानी के माध्यम से शामिल किया गया था, न कि कार्यात्मक भाग के दायरे और दायरे को सीमित करने के माध्यम से।

अधिनियम "।

67. इसी उद्देश्य के लिए, अजीत को भी संदर्भ दिया गया था

सिंह (द्वितीय) बनाम। पंजाब राज्य 3 ओ. एक बार फिर इस बात पर जोर दिया गया कि अपीलीय न्यायाधिकरण विभिन्न चिंताओं का ध्यान रखता है, विशेष रूप से तब जब मामलों की सुनवाई कम से कम एक न्यायिक सदस्य वाली पीठ द्वारा की जानी होती है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अधिनियम की धारा 82 (2) के तहत एक राज्य आयोग को स्थायी उत्तराधिकार और आम मुहर वाला एक निगमित निकाय होना चाहिए और प्रावधान निम्नानुसार हैः

" 82. राज्य आयोग का गठन।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(2) राज्य आयोग नाम से एक निगमित निकाय होगा।

उपरोक्त, स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर होने के साथ,

चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की शक्ति

मुकदमा दायर किया "।

68. उक्त अधिनियम की धारा 84 (4) के अनुसार, अध्यक्ष को

राज्य आयोग के मुख्य कार्यकारी। इस प्रकार यह निवेदन किया गया कि

एक न्यायाधीश के लिए इस प्रकार का पद धारण करना भी उचित नहीं हो सकता है।

69. इस बात पर भी जोर दिया गया कि निर्भरता विपरीत द्वारा रखी गई थी मोर मॉडर्न कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी Ltd.[31] 31 पर गलत जगह है

30 (1999) 7 एससीसी 209

31 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

चूंकि निर्णय के पैरा 14 में की गई टिप्पणियों को उक्त व्यक्ति द्वारा लगाए जा रहे दोहरे आरोप के संदर्भ में समझा जाना चाहिए,

एक पहलू जिसे हम विपरीत पक्ष के उस तर्क का उल्लेख करते हुए पहले ही नोट कर चुके हैं। 70. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 का भी उल्लेख किया

अध्याय 5 के तहत, विशेष रूप से, धारा 24 में। इस प्रकार, ऐसा नहीं है कि कोई गैर-न्यायाधीश कोई न्यायिक कार्य नहीं कर सकता है। 71. उन्होंने गुजरात आयोग के अध्यक्ष की योग्यता पर भी जोर दिया, जिनके पास मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है।

वित्त, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल), एक से गुजरा है

72. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय के विवादित आदेश पर हमला करने की मांग की और तर्क दिया कि इस सिद्धांत का उपयोग विधायिका द्वारा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की गई बातों से कुछ अलग रखने के लिए नहीं किया जा सकता है।

हमारा दृष्टिकोणः

उक्त अधिनियम की धारा 84 (2):

73. विचाराधीन विवाद से निपटना होगा

दो मैदान। पहला, यह है कि जहां तक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति का संबंध है, क़ानून को स्वयं कैसे पढ़ा जाना चाहिए। दूसरा यह है कि क़ानून को एक विशेष तरीके से पढ़ने के बाद, अध्यक्ष के अलावा न्यायाधिकरण की शेष संरचना के संदर्भ में न्यायिक घोषणाओं और प्रासंगिक कानूनी साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम पहले प्रश्न की ओर मुड़ते हैं, तो उक्त अधिनियम की धारा 84 (1) के एक सादे पठन पर जो कुछ भी अनिवार्य है वह यह है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही सक्षम व्यक्ति होंगे। सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा जिनके पास इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने का पर्याप्त ज्ञान है और जिन्होंने क्षमता दिखाई है। एक सादा व्याकरणिक पठन [2018] 9 एस. सी. आर.

इस धारा से पता चलता है कि अध्यक्ष और सदस्य की योग्यताओं में कोई अंतर नहीं किया गया है। केवल उप-धारा में निहित आदेशों की आवश्यकता है, जो "होगा" शब्द से शुरू होते हैं। इस प्रकार, उसमें उल्लिखित क्षेत्रों के किसी भी व्यक्ति, जिसके पास क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा है, को सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

74. उक्त अधिनियम की धारा 85 में चयन के गठन का प्रावधान है।

राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए समिति, जिसमें बदले में निर्धारित व्यक्तियों को शामिल करना होता है और अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति होना चाहिए, जो चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि यह प्रावधान राज्य आयोग के 'सदस्यों' की नियुक्ति को संदर्भित करता है, लेकिन फिर इसमें उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 43 को देखते हुए राज्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जो निम्नानुसार हैः

" 2. परिभाषाएँ।

.....

(43) " सदस्य "से उपयुक्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है।

या प्राधिकरण या संयुक्त आयोग, या अपीलीय न्यायाधिकरण,

मामला हो सकता है और इसमें ऐसे आयोग का अध्यक्ष भी शामिल हो सकता है।

या प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण; "

75. इस प्रकार, धारा 84 की उप-धारा (1) का पठन-पाठन

उक्त अधिनियम की धारा 85 उन क्षेत्रों के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ेगी जिनमें से राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का चयन किया जा सकता है। हालाँकि, विवाद उक्त अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (2) को शामिल करने से उत्पन्न हुआ है। यह ऐसा है,

के रूप में

उप-धारा (2) एक "बावजूद" खंड के साथ शुरू होती है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार "किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है।

व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

इसे इस परंतुक के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि ऐसी नियुक्ति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी चाहिए।

76. परंतुक केवल स्वीकृत स्थिति का सम्मान और रखरखाव करता है।

कि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति में, जो ऐसे वरिष्ठ न्यायिक पद पर रहे हैं, न्यायिक प्रमुख, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, के साथ परामर्श अनिवार्य होना चाहिए। इस प्रकार जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या धारा 84 की उप-धारा (2) गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. की नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए सुविधाजनक है।

अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश का, या उक्त प्रावधान चरित्र में अनिवार्य है। सुनहरा नियम और वैधानिक निर्माण का शाब्दिक नियम दोनों अच्छी तरह से स्थापित हैं कि एक क़ानून को पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि यह विधायिका द्वारा बनाया गया है। यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह ऐसी किसी चीज़ को प्रतिस्थापित करे या क़ानून में पढ़े जो प्रदान नहीं की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि "हो सकता है" और "होगा" अभिव्यक्ति की विनिमेयता के बारे में न्यायिक विचार नहीं लिए गए हैं।

प्रावधान। इस प्रकार, "होगा" शब्द का उपयोग इस धारणा को जन्म देता है कि एक विशेष प्रावधान अनिवार्य है। हालाँकि, यह माना गया है कि केवल कुछ मामलों में निर्देशिका यदि विधायिका का संदर्भ या इरादा अन्यथा माँग करता है। न्यायालय कानून के पूरे दायरे को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखते हुए विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकते हैं (सैनिक मोटर्स बनाम। राजस्थान राज्य 3 2 और उत्तर प्रदेश राज्य v. बाबू राम 3 3)। हालाँकि, हम एक विपरीत स्थिति का सामना कर रहे हैं कि क्या "हो सकता है" को "होगा" के रूप में पढ़ा जा सकता है। इस संबंध में हम न्यायिक राय का सहारा ले सकते हैं कि जहां उसी धारा में शब्द

' हो सकता है कि 'का उपयोग एक स्थान पर और' होगा 'का उपयोग दूसरे स्थान पर किया गया हो, यह इस निष्कर्ष को मजबूत करेगा कि शब्दों का उपयोग प्राथमिक अर्थ में किया गया है (अध्यक्ष केनरा बैंक, बैंगलोर बनाम। एम. एस. जसरा 3 4)। 77. क़ानूनों की व्याख्या (बारहवाँ संस्करण) पर मैक्सवेल का एक संदर्भ, विशेष रूप से "असाधारण" पर अध्याय

"निर्माण" से पता चलेगा कि किसी कानून की भाषा का संशोधन केवल तभी उपयोग किया जाने वाला उपकरण है जब इसके सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य का एक स्पष्ट विरोधाभास है, या कुछ असुविधा या बेतुका है जिसका शायद ही इरादा किया जा सकता था। यह देखा गया है कि सामान्य उपयोग में, "मई" अनुमति है और "अनिवार्य" अनिवार्य है और यह कि कानून में उपयोग किया जाने वाला "हो सकता है" शब्द को आम तौर पर अनिवार्य नहीं माना जाएगा। हालांकि, कुछ मामलों में जहां "हो सकता है" का उपयोग एक अनिवार्य बल के संदर्भ में किया जाता है, अर्थ को न्यायिक व्याख्या द्वारा संशोधित किया गया है। अध्याय के शीर्षक से ही पता चलता है कि इसका क्या उद्देश्य हैः " इरादे को पूरा करने के लिए भाषा में संशोधन "।

78. यह निर्धारित करने के लिए एक सामान्य नियम निर्धारित करना लगभग असंभव है कि कोई प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका। हम प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार निकालते हैंः

32 (1962) 1 एससीआर 517

33 (1961) 2 एससीआर 679 34 4 ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1341

" लॉर्ड कैम्पबेल एल. सी. ने कहा, "कोई सार्वभौमिक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।"

अधिनियमों को केवल निर्देशिका या अनिवार्य माना जाएगा अवज्ञा के लिए एक निहित शून्यीकरण। यह अदालतों का कर्तव्य है

न्याय द्वारा विधानमंडल के वास्तविक इरादे को प्राप्त करने का प्रयास करना

कानून के पूरे दायरे को ध्यान से देखना समझा जाता है "। 35 और लॉर्ड पेन्ज़ेंस ने कहाः मेरा मानना है कि जहाँ तक

नियम का संबंध है, आप सुरक्षित रूप से उससे आगे नहीं जा सकते हैं, प्रत्येक में

मामला आपको विषय-वस्तु की ओर देखना चाहिए; महत्व पर विचार करें जिस प्रावधान की अवहेलना की गई है, और उसका संबंध

अधिनियम द्वारा सुरक्षित किए जाने के उद्देश्य से सामान्य उद्देश्य के लिए प्रावधान;

और उस पहलू में मामले की समीक्षा करने पर यह तय करें कि क्या पदार्थ वह है जिसे अनिवार्य या केवल निर्देशिका कहा जाता है।

9936

79. यदि हम उक्त अधिनियम की धारा 84 के प्रावधानों की ओर मुड़ते हैं,

हम पाते हैं कि "होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग उप-धारा (1) में क्षमता, सत्यनिष्ठा और स्थिति की आवश्यकता के संदर्भ में और इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में पर्याप्त ज्ञान और क्षमता के संदर्भ में भी किया जाता है। दूसरी ओर, उप-धारा (2) में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह से अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना के लिए, उपयोग की गई अभिव्यक्ति "हो सकती है" है जो इसे एक विवेकाधीन शक्ति होने का संकेत देती है।

80. इस प्रकार, हम उन्नत तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

विद्वान महान्यायवादी के नेतृत्व में विद्वान वकील द्वारा कहा गया है कि धारा के सरल अध्ययन से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विधायिका ने केवल उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह से अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना की परिकल्पना की है, जिस मामले में नियुक्ति की विधि उक्त अधिनियम की धारा 85 के तहत परिकल्पित विधि से अलग होगी।

81. हम प्रकृति और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी देख सकते हैं।

राज्य आयोग। राज्य आयोग के कार्य उक्त अधिनियम की धारा 86 के तहत निर्धारित किए गए हैं। गणना किए गए कार्य हैं -

शुल्क निर्धारण, बिजली खरीद और खरीद का विनियमन

वितरण लाइसेंसधारियों की प्रक्रिया, अंतर-राज्य संचरण की सुविधा प्रदान करना, व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना, सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना।

अक्षय स्रोतों से बिजली, शुल्क लगाना, मानकों को निर्दिष्ट करना या लागू करना,

35 लिवरपूल बरो बैंक बनाम। टर्नर (1860) 2 डी जी. एफ. और जे. 502 पीपी पर। 507 , 508 .
36 हावर्ड वी। बोडिंगटन (1877) 2 पी. डी. 203, पी. 211 .

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

व्यापार मार्जिन को ठीक करें। ये सभी कार्य न्यायनिर्णायक के बजाय चरित्र में नियामक हैं। वास्तविक न्यायनिर्णायक कार्य केवल उपखंड (च) में प्रदान किया गया है, जिसके बाद आयोग के पास लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने या ऐसे विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने का विकल्प होता है। राज्य आयोग द्वारा उप-धारा (2) में निर्दिष्ट एक सलाहकार भूमिका भी निभाई जानी है। हालाँकि, मुद्दा यह नहीं है कि क्या एक न्यायाधीश इस कार्य को करने में सहज होगा, बल्कि यह है कि क्या ये ऐसे प्रकार के कार्य हैं जो अनिवार्य रूप से एक न्यायाधीश को अध्यक्ष होने के लिए अनिवार्य करते हैं। इसका जवाब भी होगा नकारात्मक, खंड के सादे पठन पर हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसका समर्थन करते हुए।

82. हम तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 3 7 में की गई टिप्पणियों से अवगत हैं। उक्त अधिनियम की धारा 86 (1) (च) में यह मत व्यक्त किया गया है कि न्यायनिर्णायक कार्य आम तौर पर राज्य आयोग द्वारा नहीं किए जाने चाहिए।

न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति, लेकिन फिर उक्त अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (1) कानून के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रावधान करती है। हालांकि अनिवार्य रूप से नहीं, खंड के एक सादे पढ़ने पर। इसके प्रभाव पर हमारे निर्णय के अंतिम भाग में चर्चा की जाएगी।

83. हम इस मुद्दे को दो अन्य दृष्टिकोणों से भी देख सकते हैं। सबसे पहले, की धारा 112 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना

उक्त अधिनियम जो यह आदेश देता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक पीठ होनी चाहिए जिसमें से कम से कम एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए। द.

धारा 113 के अनुसार, अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इस प्रकार, अपीलीय स्तर पर आवश्यक न्यायिक जांच होती है, जो होती है। दूसरा, उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले प्रचलित स्थिति के दृष्टिकोण से, राज्य आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति को इस तरह से किया जाना था, न कि व्यक्ति द्वारा, जो अनिवार्य रूप से न्यायिक पद धारण करता था। इस प्रकार, न्यायिक प्रक्रिया के "न्यायाधिकरण" के संदर्भ में की गई टिप्पणियाँ और

न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसकी आवश्यकता को न्यायालयों से न्यायाधिकरणों में न्यायिक भूमिका के स्थानांतरण के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

84. निस्संदेह उक्त अधिनियम की धारा 94,95 और 96 के तहत आयोग में कुछ शक्तियां निहित हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि वे चाहते हैं

आयोग को 'न्यायालय की विशेषताएँ' देने के लिए, लेकिन उस पहलू की हम निर्णय के उत्तरार्ध में जांच करेंगे, अर्थात, यदि आयोग द्वारा किए जाने वाले कुछ न्यायिक कार्य हैं, तो आयोग की संरचना की प्रकृति क्या होनी चाहिए।

धारा 85 की उप-धारा (2), (3), (5) और (6) के तहत किसी अध्यक्ष को संदर्भित करेगा क्योंकि यदि ऐसी याचिका स्वीकार की जाती है तो ऐसी संभावना कभी पैदा नहीं होगी। 86. इस प्रकार, हम पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जिन्होंने पक्षकारों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बनाए रखने की कोशिश की।

गुजरात उच्च न्यायालय। यह तथ्य कि अध्यक्ष को सदस्य को नामित करने का अधिकार है, जो धारा 92 की उप-धारा (2) के अनुसार अपनी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा, या यह कि कानून के किसी व्यक्ति की उपस्थिति एक न्यायाधीश की आवश्यकता का विकल्प नहीं होगी जो अध्यक्ष के रूप में निर्णय लेने में न्यायिक विचार प्रक्रिया लाएगा, या कि नियामक निकाय को अनियमित नहीं होना चाहिए, सामान्यीकृत याचिकाएं हैं, जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, जिसमें कानून के निर्णय या व्याख्या से उत्पन्न कानून के सिद्धांत भी शामिल होंगे, लेकिन फिर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुपात निर्णय, न्यायाधीश की अनिवार्य आवश्यकता के सिद्धांत को केवल उन मामलों में लागू करता है जहां न्यायिक कार्य को 'न्यायाधिकरण' की प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित करने की मांग की जाती है।

87. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) एक गैर-अवरोधक खंड से शुरू होती है, अर्थात, इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद।

उप-धारा (1), यह उप-धारा (1) में बताई गई बातों को दूर नहीं करता है, जो नियुक्ति में आवश्यक आवश्यकताओं से संबंधित है। किसी सदस्य या अध्यक्ष का। यह अधिनियम के उप-धारा (1) होने की स्पष्ट शर्तों में कटौती नहीं करेगा। इस तरह के गैर-अबाधित खंड का उपयोग करने का अवसर वास्तव में इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि एक अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जो एक न्यायाधीश है, या रही है, अलग होनी चाहिए, और इस प्रकार, मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य परामर्श। यह कुछ भी कम या ज्यादा नहीं है। इसके अलावा धारा 85 की उप-धारा (1) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक चयन समिति का प्रावधान है, लेकिन गुजरात और ओ. आर. एस. राज्य के साथ।

परंतुक कि उक्त प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए लागू नहीं होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। वास्तव में, यह दर्शाता है कि एक गैर-न्यायाधीश को उक्त अधिनियम की धारा 85 के तहत गठित चयन समिति द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इस प्रकार, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) केवल राज्य सरकार को एक न्यायाधीश को राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विवेकाधीन विकल्प देती है। अतः उक्त प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य नहीं है।

राज्य आयोग की संरचनाः

88. अध्यक्ष की नियुक्ति पर हमारा उपरोक्त निष्कर्ष,

शब्दों में, अध्यक्ष के अलावा दो अन्य सदस्य होने चाहिए। अब यदि अध्यक्ष न्यायाधीश नहीं है, तो सवाल उठता है कि क्या अन्य दो सदस्यों में से कोई भी राज्य आयोग द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति को देखते हुए कानूनी क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 84 (1) ज्ञान की आवश्यकता निर्धारित करती है। और छह अलग-अलग क्षेत्रों, यानी इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता दिखाई। यदि अध्यक्ष गैर-कानूनी क्षेत्र से है, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अन्य पांच क्षेत्रों में से किसी एक से संबंधित व्यक्ति होगा। यह अभी भी कानून सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से दो सदस्यों की नियुक्ति को छोड़ देगा। इस प्रकार, एक संभावना हो सकती है और हमें सूचित किया जाता है कि ऐसा है, जहां राज्य आयोगों में कानूनी क्षेत्र से कोई सदस्य नहीं है। विवादास्पद मुद्दा यह उठता है कि क्या राय देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 84 (1) में पढ़ा गया एक अनिवार्य प्रावधान हो सकता है, कि कानूनी क्षेत्र से कम से कम एक व्यक्ति सदस्य के रूप में आवश्यक है, हालांकि धारा के सादे पढ़ने पर ऐसा नहीं है।

आयोग यह है कि केंद्रीय आयोग के संबंध में, यह विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 77 में प्रदान किया गया है कि किस क्षेत्र से कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी है। उप के लिए एक और प्रावधान है उक्त अधिनियम की धारा 77 की उप-धारा (1) का खंड (ग) इसे [2018] 9 एस. सी. आर. तक सीमित करता है।

उक्त खंड में निर्दिष्ट क्षेत्रों से एक से अधिक सदस्य नहीं, अर्थात। अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानून या प्रबंधन। जहाँ तक राज्य आयोग का संबंध है, यह स्थिति नहीं है।

90. किसी व्यक्ति के लिए ऐसी किसी भी आवश्यकता की सराहना करने के लिए

राज्य आयोग के सदस्य के रूप में कानूनी क्षेत्र में, राज्य आयोग द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति की ओर रुख करना आवश्यक हो जाता है।

91. हमने उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) के संदर्भ में राज्य आयोग के विभिन्न कार्यों पर चर्चा की है जो हैं -

उक्त अधिनियम की धारा 86 के तहत निर्दिष्ट। विद्वान महान्यायवादी और उनका समर्थन करने वाले वकील की ओर से तर्क यह था कि धारा 86 के उपखंड (च) के अलावा, वास्तव में कोई न्यायनिर्णायक नहीं हैं।

कार्य। तथापि, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उपखंड (च) स्पष्ट रूप से एक न्यायनिर्णायक कार्य है। यह दोनों के बीच विवादों के निर्णय का प्रावधान करता है

अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कंपनियाँ। विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की भी शक्ति है और उक्त खंड में "और" अभिव्यक्ति को गुजरात ऊर्जा विकास निगम Ltd.[3]8 (GJ-I) में "या" के रूप में पढ़ा गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य आयोग के पास दोनों में से किसी एक को करने का विकल्प उपलब्ध है। 92. अब राज्य आयोग की शक्तियों की ओर मुड़ते हुए, हम ध्यान दे सकते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 94 से 96 तक निर्दिष्ट हैं। इन धाराओं में 'उपयुक्त आयोग' का उल्लेख है, अर्थात यह या तो केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग या संयुक्त आयोग हो सकता है। प्रासंगिक परिभाषा खंड निम्नानुसार है:

" 2. परिभाषाएँ।

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

4. " उपयुक्त आयोग का अर्थ है धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विनियामक आयोग या धारा 82 में निर्दिष्ट राज्य विनियामक आयोग या धारा 83 में निर्दिष्ट संयुक्त आयोग, जैसा भी मामला हो;

93. इन प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि उनकी परिभाषा के अलावा, अन्यथा भी, ये एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं।

38 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'उक्त संहिता' के रूप में संदर्भित)। समन भेजना, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर जांच, खोज और दस्तावेजों को पेश करना, साक्ष्य का शपथ पत्र प्राप्त करना, सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना आदि सभी शक्तियां धारा 94 का हिस्सा हैं। धारा 95 के संदर्भ में, राज्य आयोग के समक्ष ऐसी सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाहियां माना जाएगा और आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए एक दीवानी अदालत होगी। इतना ही नहीं, धारा 96 किसी भी इमारत और स्थान के संबंध में प्रवेश और जब्ती की चरम शक्ति प्रदान करती है जहां आयोग को यह विश्वास करने का कारण है कि

& 146 आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड। इस प्रकार, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य आयोग, हालांकि एक 'आयोग' के रूप में परिभाषित है, के पास सभी 'न्यायालय के गुण' हैं। 94. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम Ltd.3[39] 39 (जीजे-आई) में जो राय दी गई है, उसके संदर्भ में, राज्य आयोग या उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के तहत उसके द्वारा नामित मध्यस्थ द्वारा लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों का ऐसा निर्णय सभी विवादों तक फैला हुआ है, न कि केवल निम्नलिखित तक।

धारा 86 (1) के खंड (ए) से (ई) और (जी) से (के) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित जो लाइसेंसधारियों और उत्पन्न करने वालों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं।

विवाद की प्रकृति की धारा 86 (1) (च) जिसका न्यायनिर्णयन किया जा सकता है। इसी तरह ए. पी. शक्ति समन्वय समिति और अन्य में "। जबकि गुजरात ऊर्जा विकास निगम Ltd.4[1] (GJ-I) में निर्णय का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया है कि आयोग को लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच सभी विवादों के संबंध में दीवानी अदालत का दर्जा दिया गया है। इस तरह के विवाद के अभ्यास से उत्पन्न नहीं होना चाहिए

उक्त अधिनियम के तहत शक्तियां लेकिन विशुद्ध रूप से अनुबंध से उत्पन्न होने वाले दावों या विवादों को भी या तो आयोग द्वारा न्यायनिर्णित किया जाना चाहिए या आयोग द्वारा नामित मध्यस्थ को भेजा जाना चाहिए। उस संदर्भ में यह भी देखा गया है कि राज्य आयोग होने की सलाह दी जाती है

39 ऊपर 40 ऊपर

ऊपर [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता का उल्लेख किया गया था। सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों जैसे धारा 5 और 14 को भी अधिनियम में शामिल किया गया है।

95. 'अदालत के जाल' को और क्या कहा जा सकता है? हम अपने निष्कर्ष में न्यायिक घोषणाओं से संबंधित हैं

अभिव्यक्ति "अदालत के जाल"। शेल कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लिमिटेड बनाम में द प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के एक फैसले में "अदालत के जाल" अभिव्यक्ति का उल्लेख शुरू में पाया गया। कराधान के संघीय आयुक्त। यह लॉर्ड चांसलर द्वारा मनाया गया था। सेंकी ने कहा कि कई "अदालत के जाल" के साथ न्यायाधिकरण हैं लेकिन न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के सख्त अर्थ में अदालतें नहीं हैं। भारत बैंक लिमिटेड बनाम। भारत बैंक के कर्मचारियों ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के साथ व्यवहार करते हुए यह पाया कि उक्त न्यायाधिकरण के पास किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय, दस्तावेजों की खोज करते समय, निरीक्षण करते समय, स्थगन प्रदान करते समय, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करते समय, गवाहों की उपस्थिति को लागू करते समय उक्त संहिता के तहत दीवानी अदालत में निहित शक्तियां हैं। आर. वी. में टिप्पणियाँ लंदन काउंटी काउंसिल, सेविले, एल. जे. ने "अदालत" या "न्यायिक प्राधिकरण" शब्द का अर्थ देते हुए अनुमोदन के साथ उद्धृत किया था। सेविले, एल. जे. ने निम्नलिखित रूप में देखाः

" यह आवश्यक नहीं है कि यह इस अर्थ में एक न्यायालय होना चाहिए कि यह न्यायालय एक न्यायालय है, यह पर्याप्त है यदि यह साक्ष्य सुनने के बाद, इस अर्थ में न्यायिक कार्यों का प्रयोग कर रहा है कि इसे एक प्रस्ताव और विपक्ष के बीच साक्ष्य पर निर्णय लेना है; और यह सख्ती से एक न्यायालय होने की आवश्यकता नहीं है यदि यह एक न्यायाधिकरण है जिसे एक न्यायालय होना है। साक्ष्य और विरोध सुनने के बाद अधिकारों का फैसला करें।

96. उच्चतम न्यायालय ने हडर्ट, पार्कर एंड कंपनी बनाम में "न्यायिक शक्ति" और "न्यायिक निर्णय" की परिभाषा पर भी ध्यान दिया।

मूरहेड और कूपर बनाम। विल्सन 47 क्रमशः। ग्रिफ़िथ, सी. जे. ने पहले फैसले में कहाः

" सेक में प्रयुक्त शब्द 'न्यायिक शक्ति'। 71 संविधान का अर्थ है वह शक्ति जो प्रत्येक संप्रभु प्राधिकारी को आवश्यक है।

42 ऊपर

43 (1931) एसी 275

44 आकाशवाणी 1950 एस. सी. 188 45 (1931) 2 के. बी 215

46 8 सी. एल. आर. 330,357 47 (1937) 2 के. बी. 309, पी.

स्वयं और उसके विषय, चाहे अधिकार जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से संबंधित हों। इस शक्ति का प्रयोग तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि कुछ न्यायाधिकरण के पास बाध्यकारी और आधिकारिक अधिकार देने की शक्ति न हो। निर्णय
(चाहे वह अपील के अधीन हो या नहीं) लेने के लिए कहा जाता है

कार्रवाई "। 97.
बाद के फैसले में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

" एक सच्चा न्यायिक निर्णय दो या दो से अधिक पक्षों के बीच मौजूदा विवाद का अनुमान लगाता है, और फिर इसमें चार आवश्यकताएं शामिल होती हैंः (1) विवाद के पक्षकारों द्वारा अपने मामले की प्रस्तुति (जरूरी नहीं कि मौखिक रूप से); (2) यदि उनके बीच विवाद तथ्य का प्रश्न है, तो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से तथ्य का निर्धारण

इस प्रकार पाए गए तथ्यों पर देश की कानून का अनुप्रयोग, जिसमें कानून के किसी भी विवादित प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता भी शामिल है। एक अर्ध-न्यायिक निर्णय समान रूप से एक मौजूदा विवाद का अनुमान लगाता है। दो या दो से
अधिक पक्षों के बीच और इसमें (1) और (2) शामिल हैं, लेकिन आवश्यक रूप से इसमें (3) शामिल नहीं है और इसमें कभी भी (4) शामिल नहीं है। (4) का स्थान वास्तव में प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा लिया जाता है, जिसका चरित्र मंत्री की स्वतंत्र पसंद द्वारा निर्धारित किया जाता है।

98. जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम में बाद के निर्णय। लक्ष्मी चंद "8; इंजीनियरिंग मजदूर सभा बनाम। हिंद चक्र

Ltd.49; इंडो-चाइना स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड v. जसजीत सिंह 5 0;

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम पी. एन. शर्मा "1; सरोजिनी रामास्वामी बनाम। भारत संघ 52 और गुजरात राज्य बनाम। गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन 53 ने उपरोक्त विचारों का अनुसरण किया।

एक ही सांस।

50 (1964) 6 एससीआर 594 51 (1965) 2 एससीआर 366

52 (1992) 4 एस. सी. सी. 506

53 (2012) 10 एस. सी. सी. 353 [2018] 9 एस. सी. आर.

100. तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में इस अदालत के फैसले पर पहले विचार करना होगा

कुछ हद तक, क्योंकि यह उसी अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है। बेशक, संदर्भ, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त अधिनियम की धारा 86 (1) की व्याख्या के संबंध में था। पीठ ने उस फैसले में की गई टिप्पणियों के कारण गुजरात ऊर्जा विकास निगम (जीजे-आई) पर ध्यान दिया कि राज्य आयोग लाइसेंसधारियों और राज्य सरकार के बीच धन के दावों पर विवाद सहित सभी विवादों पर निर्णय ले सकता है।

उत्पादक कंपनियाँ। अपीलार्थी के तत्कालीन वकील ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि ऐसी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग या तो

दीवानी अदालत या न्यायाधिकरण में कम से कम एक न्यायिक सदस्य का न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति में होना न्यायिक प्रक्रिया के लिए अभिशाप होगा और यह सीधे तौर पर न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर असर डालेगा। यह भी तर्क दिया गया कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करेगा जिसे भारत के संविधान द्वारा सख्ती से बनाए रखने की मांग की गई थी। वकील ने वास्तव में आगे कहा कि इस तरह के आयोग के अध्यक्ष के कार्य के लिए उस पद पर कब्जा करने के लिए केवल उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, एक ऐसा पहलू जिसे हमने पहले भी नकार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से पेश किए गए निवेदन को इस हद तक महत्व दिया कि न्यायिक सदस्यों की अनुपस्थिति में न्यायनिर्णायक कार्य आम तौर पर राज्य आयोग द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। यह देखा गया कि तमिलनाडु राज्य आयोग में किसी भी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई थी, और उन व्यक्तियों में से अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं।

101. यह निस्संदेह सत्य है कि जिस प्रश्न पर न्यायालय ने विचार किया था, वह उक्त अधिनियम की धारा 86 की व्याख्या और कुछ अन्य मामलों से संबंधित था, जो यहाँ के विवाद से संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार, मुद्दा यह उत्पन्न होता है कि क्या की गई टिप्पणियों को सलाहकार के रूप में माना जाता है या किसी की नियुक्ति के लिए सूचक माना जाता है।

अध्यक्ष और एक सदस्य को अनुपात निर्णय या आज्ञाकारी आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। 102. इस पहलू को निर्धारित करने के लिए, अच्छी तरह से स्थापित परीक्षणों में से एक "द इनवर्जन टेस्ट" है जो अन्य बातों के साथ-साथ यूजीन वामबाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

द हार्वर्ड लॉ स्कूल में एक प्रोफेसर, जिन्होंने एक उत्कृष्ट पाठ प्रकाशित किया

55 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

वर्ष 1892 में "मामलों का अध्ययन" नामक पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक ने अन्य बातों के साथ-साथ न्यायिक व्याख्या के साधन के रूप में "वैम्बॉग टेस्ट" या "द इनवर्जन टेस्ट" के रूप में जाना जाता है। व्युत्क्रम परीक्षण "का उपयोग किसी भी निर्णय में अनुपात निर्धारण की पहचान करने के लिए किया जाता है। प्रोफेसर वामबाग के शब्दों में केंद्रीय विचार इस प्रकार हैः

" परीक्षण करने के लिए, उसे पहले ध्यान से फ्रेम करने दें

कानून का कथित प्रस्ताव। फिर उसे प्रस्ताव में एक शब्द डालने दें जो इसके अर्थ को उलट देता है। फिर उसे यह पूछने दें कि क्या, अगर अदालत ने इस नए प्रस्ताव को अच्छा माना होता, और इसे ध्यान में रखा होता, तो निर्णय वही हो सकता था। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो मूल प्रस्ताव कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, मामला उस प्रस्ताव के लिए एक उदाहरण नहीं है, लेकिन यदि उत्तर नकारात्मक है तो मामला मूल प्रस्ताव के लिए एक उदाहरण है। प्रस्ताव और संभवतः अन्य प्रस्तावों के लिए भी। 579 9

103. यह जाँचने के लिए कि क्या कानून के किसी विशेष प्रस्ताव को मामले के अनुपात निर्णय के रूप में माना जाना है, प्रस्ताव यह है - व्युत्क्रमित, अर्थात, निर्णय के पाठ से हटाने के लिए जैसे कि यह मौजूद नहीं था। यदि प्रस्ताव की जांच किए बिना भी मामले का निष्कर्ष वही रहा होगा, तो इसे मामले का अनुपात निर्णय नहीं माना जा सकता है। इस परीक्षण का पालन यह इंगित करने के लिए किया गया है कि अनुपात निर्णय वही है जो मामले के निर्णय के लिए बिल्कुल आवश्यक है। जॉन चिपमैन ग्रे58 के अनुसार, "यह एक राय होनी चाहिए, जिसका गठन किसी विशेष मामले के निर्णय के लिए आवश्यक है।"

104. अब परीक्षण को उपरोक्त निर्णय पर लागू करते हुए,

प्रस्ताव को उलट दिया जाता है, अर्थात, "अध्यक्ष को न्यायिक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है", तथ्य यह है कि इसमें निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मामला, जो अन्य बातों के साथ उक्त अधिनियम की धारा 86 की व्याख्या से संबंधित था। वास्तव में, यह न्यायाधीशों के समूह से अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में हमने जो कहा है, उसे उचित ठहराता है।

105. जिस प्रश्न पर हम अब विचार कर रहे हैं, उसके संदर्भ में

यदि हम इस प्रस्ताव को "कानून का ज्ञान रखने वाले किसी भी सदस्य को आयोग का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है" के रूप में लेते हैं, तो हमारे पास एक है

56 यूजीन वामबाग, मामलों का अध्ययन (बोस्टनः लिटिल, ब्राउन एंड कंपनी, 1892) 57 यूजीन वामबाग, मामलों का अध्ययन (बोस्टनः लिटिल, ब्राउन एंड कंपनी, 1892)

पेज। 17

58 एक अन्य प्रतिष्ठित न्यायविद जिन्होंने हार्वर्ड में कानून के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया

आवश्यक हो जाता है। कानून का ज्ञान रखने वाले सदस्य की अनुपस्थिति राज्य आयोग की संरचना को इस तरह बना देगी कि वह उक्त अधिनियम की धारा 86 (1) (च) के तहत कार्यों को करने में असमर्थ हो जाएगा। 106. मद्रास बार एसोसिएशन 59 (एम. जे.-II) में, संविधान पीठ ने मद्रास बार एसोसिएशन 6 0 (एम. जे.-I) में निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले न्यायाधिकरणों के सदस्यों को केवल कानून में विशेषज्ञता वाले और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम स्रोतों से लिया जा सकता है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि

मामला (एम. जे.-I) एक तथ्यात्मक मैट्रिक्स से संबंधित था जिसमें अदालतों में निहित शक्तियों को न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करने की मांग की गई थी, लेकिन जो प्रासंगिक है वह सभी 'अदालत के जाल' के साथ न्यायिक कार्यों का पहलू और कम से कम, राज्य आयोग के कामकाज के एक ही हिस्से के संबंध में न्यायिक शक्ति का प्रयोग है। अतः यदि सभापति

आयोग कानून का आदमी नहीं है, कम से कम एक सदस्य होना चाहिए जो कानूनी क्षेत्र से लिया गया हो। मद्रास बार एसोसिएशन '1 (एम. जे.-II) में संविधान पीठ की टिप्पणियों की अवधारणाओं के संदर्भ में बुनियादी संरचना की अवधारणा पर एक घोषणा का गठन करता हैः

" शक्तियों का पृथक्करण "," कानून का शासन "और" न्यायिक समीक्षा "। सबसे पहले

संविधान पीठ के समक्ष इस सवाल का जवाब दिया गया कि क्या न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा थी

सकारात्मक में।

107. इस प्रकार, हमारा विचार है कि राज्य आयोग के सदस्य के रूप में कानून के किसी व्यक्ति का होना अनिवार्य है। जब हम ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कानून के क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को उठाया जा सकता है। यह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो न्यायिक पद पर है या रह रहा है या पर्याप्त अनुभव के साथ पेशेवर योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए।

61 गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. वी. UTILITY USERS 'WELFARE ASSOCIIAN & ORS। [संजय किशन कौल, जे।]

108. ब्रह्म दत्त बनाम। भारत संघ 62, यह देखा गया है कि यदि सलाहकार और नियामक कार्यों के साथ-साथ न्यायनिर्णायक कार्यों का निष्पादन किया जाना है, तो दो अलग-अलग कार्य बनाना उचित हो सकता है।

109. हम विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करने की स्थिति में भी नहीं हैं कि चूंकि इसमें एक न्यायाधीश की उपस्थिति है। अपीलीय न्यायाधिकरण जो राज्य आयोग के सदस्य के रूप में कानून के एक व्यक्ति की आवश्यकता को दूर करेगा। मूल कार्यवाही को केवल अपील का अधिकार प्रदान करके इसके दोष से ठीक नहीं किया जा सकता है।

110. इस प्रकार, हमारा स्पष्ट विचार है कि सभी न्यायिक कार्यों के लिए पीठ में कम से कम एक सदस्य होना आवश्यक है, जो

या न्यायिक पद धारण कर चुका है या कानून के अभ्यास में पर्याप्त अनुभव के साथ पेशेवर योग्यता रखने वाला व्यक्ति है और जिसके पास उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं।

111. चुनौती टी. सी. (सी) संख्या में रखी गई है। 139/2015 & 138/2015 तमिलनाडु राज्य आयोग में की गई नियुक्तियों के लिए और आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए शक्तियों का प्रयोग। मौलिक याचिका दोनों सदस्यों के वित्तीय पूर्वाग्रह की है क्योंकि वे अपने पूर्व अवतारों में काम कर रहे थे। श्री जी. राजगोपाल के नाम की सिफारिश तब की गई थी जब वे अभी भी निदेशक, टैंगेडको के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने अपने नाम की सिफारिश के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था। श्री अक्षयकुमार प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए

TANTRANSCO 31.5.14 पर और के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 6.6.14 पर कमीशन। शुल्क वृद्धि को 2 के बहुमत से मंजूरी दी गई थीः 1 इन दोनों सदस्यों के बहुमत के दृष्टिकोण का हिस्सा होने के साथ।

112. उपरोक्त के संबंध में, राजेश अवस्थी 6 3 और मोर आधुनिक सहकारी परिवहन मामले में निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी।

62 ऊपर

नियुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय तक विशेष रूप से हमला किया गया है। यह जोड़ा जा सकता है कि चयन समिति की अध्यक्षता एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

113. हम, इस प्रकार, नियुक्ति या स्वतः संज्ञान शुल्क संशोधन पर हमला करने के लिए अग्रिम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। निष्कर्षः

114. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैंः

आई. उक्त अधिनियम की धारा 84 (2) केवल एक सक्षम प्रावधान है -

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करें उक्त अधिनियम को लागू करना और ऐसा करना अनिवार्य नहीं है।

ii. यह अनिवार्य है कि आयोग के सदस्य के रूप में एक कानून का व्यक्ति होना चाहिए, जिसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो न्यायिक पद पर है या रह रहा है या एक पेशेवर व्यक्ति है। कानून के अभ्यास में पर्याप्त अनुभव के साथ योग्यताएँ, जिनके पास उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएँ हैं।

iii. कि राज्य आयोग के किसी भी न्यायिक कार्य में, उपरोक्त कानूनी विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य के लिए यह अनिवार्य है -

पीठ के सदस्य बनें।

iv. तमिलनाडु राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को चुनौती देने के साथ-साथ आयोग द्वारा की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही को भी खारिज कर दिया गया है।

वी. हमारा निर्णय संभावित रूप से लागू होगा और आयोग द्वारा समय-समय पर पहले से पारित आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा।

115. स्थानांतरण याचिका (सी) No.974/2016 की अनुमति है और स्थानांतरण याचिका से उत्पन्न त्रुटि वाले मामले का निपटारा किया जाता है।116. अपीलों के साथ-साथ अन्य हस्तांतरित मामलों में पक्षकारों को अपनी लागत जी आवेदन (आवेदन), यदि कोई हो, का वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसका भी निपटारा किया जाता है।

मामले निपटाए गए

में